

# नमाज़ की महानता एवं महत्व

लेखक:

माजिद बिन सोलेमान अर्रसी

अनुवाद:

फैजुर रहमान हिफजुर रहमान तैमी

الترجمة الهندية لكتاب: الصلاة الصلاة!

لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي / حفظه الله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ یَسْرٍ وَّاعْنِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين، أما بعد

**नमाज़ की महानता के दस प्रमाण:**

1—शहादतैन के बाद नमाज़ ही वह प्रथम प्रार्थना है जिसे अल्लाह तआला ने वाजिब किया है, वह इस्लाम का द्वितीय स्तंभ है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है उन्होंने ने फरमाया: मैं ने रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना: "इस्लाम पाँच चीज़ों पर आधारित है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य परमेश्वर नहीं और यह कि मोहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, हज़ करना और रमज़ान के रोज़े रखना"<sup>1</sup>

---

1 इसे बोखारी(8) और मुस्लिम(16) ने रिवायत किया है और उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

शहादतैन के बाद नमाज़ को यह स्थान देना इस बात का प्रमाण है कि (बंदा का)आस्था सही है,और उसके हृदय में शहादतैन का अर्थ जम चुका है जिसे वह(नमाज़ के द्वारा)सत्य सिद्ध कर रहा है।

2-पैगंबर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मक्का में तीन बेसते नबवी को नमाज़ उस समय फर्ज़ हुई जब इसरा व मेराज के अवसर पर आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकाश पर ले जाया गया,अतः सातवें आकाश पे उपर अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद पर बिना किसी देवदूत के माध्यम के प्रत्यक्ष रूप में नमाज़ फर्ज़ किया, जबकि अन्य प्रार्थनाएं अप्रत्यक्ष रूप में फर्ज़ की गईं।

3-इस से पता चलता है कि नमाज़ हर वयस्क और स्वस्थ बुद्धि वाले मुसलमान पर फर्ज़ है,चाहे पुरुष हो या महिला।

4-इस्लाम में नमाज़ की जा स्थान प्राप्त है वह किसी अन्य प्रार्थना को नहीं,अतःनमाज़ इस्लाम धर्म का स्तंभ है जिस के बिना(उसका भवन खड़ा नहीं हो सकता),मोआज़ बिन जबल रज़अल्लाहु अंहु से वर्णित हदीस में आया है,वह फरमाते हैं:रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोआज़ से फरमाया: "क्या मैं तुम्हें धर्म मूल,उसका स्तंभ और उसकी चोटी न बतादूं"? मोआज़ ने कहा:क्यों नहीं?अल्लाह के रसूल(अवश्य बताइय)आप सलल्लाहु

अलैहि वसल्लम ने फरमाया:धर्म का मूल इस्लाम है और उसका स्तंभ नमाज़ है और उसकी चोटी जिहाद है"<sup>2</sup>

5-नमाज़ बंदा और उसके रब की बीच कानाफूसी का एक माध्यम है, क्यों कि इस में अल्लाह तआला से प्रार्थना, उसकी प्रशंसा, कुरान का सस्वर पाठ,तस्बीह व तहमीद, तक्बीर और शरीर के अंगों का विनम्रता एवं विनयशीलता भी शामिल है, जैसे रूकू व सजदा करना और अल्लाह के समक्ष विनम्रता एवं विनयशीलता, विनम्रता एवं नज़र को झुकाके खड़ा होना,शैख अब्दुर्रहमान बिन सादी रहिमहुल्लाहु ने अल्लाह के इस कथन की व्याख्या में फरमाया:[العنكبوت:45] ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

अर्थात:वास्तव में नमाज़ रोकती है निर्लज्जा तथा दुराचार से और अल्लाह का स्मरण ही सर्व महान है।

नमाज़ में इस से भी बढ़ कर एक और महान एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपा हुआ है, वह यह है कि नमाज़ हृदय, जीभ और पूरे शरीर से अल्लाह का जिक्र करने का नाम है, क्यों कि अल्लाह तआला ने बंदों को अपनी पूजा के लिये पैदा किया, और सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना नमाज़ ही है,इसके अंदर शारीरिक अंगों की एतनी पार्थनाएं शामिल हैं जो अन्य प्रार्थनाओं में नहीं, इसी लिये अल्लाह ने फरमाया: (निसंदेह अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है)समाप्त

---

2 इस हदीस को तिरमिज़ी(2616) ने वर्णित किया है और कहा है कि: यह हदीस हसन सही है।

6—नमाज़ के अंदर अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो अन्य प्राथनाओं में नहीं पाई जातीं,उन में से महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं:

- इसके लिए आवाज लगाई जाती है जिसे अज़ान कहा जाता है।
- इसे अदा करने के लिए तिहारत(पवित्रता)अनिवार्य है।

7—यात्रा में एवं घर में,भय में व शांति में और स्वास्थ एवं रोग हर स्थिति में नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है,केवल यह कि ऐसा रोग हो जिस के कारण बुद्धि जाती रहे।

8—नमाज़ की महानता एवं महत्व ही है कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरणसेज पर भी यह परामर्श किया कि नमाज़ का विशेष ध्यान रखा जाए,अतःउम्मे सल्मा रज़ीअल्लाहु अंहा से वर्णित है कि जिस रोग में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हुई,उस समय आप फरमाया करते थे: "नमाज़(की रक्षा करो)और (उन दासी,दासों की)जो तुम्हारे अधीन आते हैं"आप ने इन शब्दों को बार बार दोहराया यहां तक कि आपकी ज़बान रुक गई।<sup>3</sup>

अहमद की एक रिवायत में आया है:यहां तक कि अल्लाह के नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शब्दों को अपने हृदय में दोहराते रहे और आप की ज़बान से साफ साफ शब्द नहीं निकल रहे थे।

---

3 इस हदीस को इब्ने माजा(1625)और अहमद(6/290)ने रिवायत किया है और अल्बानी ने "الإرواء"(7/238)सही कहा है।

आपके फरमान: (जो तुम्हारे अधीन हैं)का अर्थ है:दासी एवं दास,जिन के साथ सुन्दर व्यवहार रखने की आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परामर्श फरमाई।

हदीस में (ما يفيض بها لسانه) के शब्द आए हैं(अर्थ:आपकी ज़बान रुक गई)अर्थ:उस वसीयत के अतिरिक्त आपकी ज़बान पर कोई और बात नहीं आ रही थी।जैसे कि हम कहते हैं: استفاض على ألسنة الناس كذا وكذا अर्थ:लोगों की ज़बान पे यह और यह बात प्रचलित हो गई, अन्य रिवायत में(يُفَيض)के शब्द आए हैं,अर्थात:आप साफ साफ नहीं बोल सकते थे, إفاضة का अर्थ होता है स्पष्ट करना,इस प्रकार दोनों शब्द के अर्थ एक ही है, वह यह कि पैगंबर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ की रक्षा और उसको पढ़ने की वसीयत फरमा रहे हैं यहां तक कि रोग के बढ़ने के कारण आप स्पष्ट रूप से बोल नहीं सक पा रहे थे।

9—यह नमाज़ की महानता एवं महत्ता ही है कि क़्यातम के दिन सबसे पहले बंदा से जिस प्रार्थना के प्रति हिसाब लिया जाएगा वह नमाज़ होगी,अतःअबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "क़्यामत के दिन लोगों से जिस अमल के प्रति सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वह नमाज़ है, फरमाया:हमारा स्वश्रेष्ठ अल्लाह देवदूतों से फरमाएगा जबकि वह (पूर्व से ही)सब जानने वाला है:मेरे बन्दे की नमाज़ देखो!क्या उसने उसको पूरा किया है या उसमे

कोई कमी है?अतःवह यदि पूरी हुई तो पूरी की पूरी लिख दी जाएगी और यदि उसमें कोई कमी हुई तो फरमाएगा कि देखो!क्या मेरे बन्दे के कुछ नवाफिल भी है?यदि नवाफिल हुए तो वह फरमाएगा कि मेरे बन्दे के फर्जों को उसके नफिलों से पूरा कर दो|फिर इसी प्रकार अन्य अ़ामाल लिए जाएंगे"।<sup>4</sup>

10—इसकी महानता एवं महत्ता का एक प्रमाण यह भी है कि अंत काल में इस्लाम धर्म का जो भाग सबसे अंतिम में(लोगों के अंदर से समाप्त हो जाएगा)वह नमाज़ होगी,यदि नमाज़ नष्ट हो गई तो पूरा धर्म जाता रहेगा और धर्म का कोई भाग(उसके अंदर)बाकी नहीं रहेगा,इसका प्रमाण आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है:इस्लाम के सार बंधन एक एक करके टूट जाएंगे, जब भी कोई बंधन टूटेगा, लोग उसके बाद लावे बंधन से चिमट जाएंगे,सबसे प्रथम टूटने वाला बंधन शासन है और सबसे अंतिम में टूटने वाला बंधन नमाज़ है।<sup>5</sup>

---

4 इस हदीस को अबू दाउद(864)और अहमद(2/425)ने रिवायत किया है और उपरोक्त शब्द अबूदाउद के हैं,और अल्बानी रहिमहुल्लाहु और "المسند" के शोधकर्ताओं ने इसे सही कहा है।

5इसे अहमद(5/251)और इब्ने हिब्बान(6716)ने अबू अमाम बाहिली रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है और "المسند" के शोधकर्ताओं ने इसकी सनद को जिय्यद कहा है।

हदीस में (عری الإسلام)के शब्द आए हैं,इसका अर्थ है इस्लाम के फराएज़ व अहकाम व कानून,अर्थात लोग इन फराएज़ व अहकाम पर अमल करना छोड़ देंगे,जिस के फलस्वरूप धर्म की अजनबियत और बढ़ जाएगी यहां तक कि लोग नमाज़ से भी दूर हो जाएंगे, और सबसे अंतिम में नमाज़ ही छोड़ेंगे, जो कि अंतिम काल में होगा।

## अध्याय नमाज़ की अनिवार्यता का उल्लेख

- अल्लाह का कथन है: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾<sup>6</sup>

अर्थात:निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है।

आपका कथन: (सबसे पहले टूटने वाला बंधन शासन है)अर्थात:सबसे पहले जो बंधन टूटेगा वह यह कि शासन शैली एवं शासकों में बिगाड़ आजाएगी,मेरा कहना है:हमारे युग में हिंसा एवं बिगाड़ स्पष्ट है, अतःमुस्लिम देशों में जो शासन प्रणाली प्रचलित है वह मानव निर्मित हैं, बहुत कम ही देश हैं जहाँ इस्लामी शासन प्रणाली लागू है।

6 [النساء:103] , इस आयत में ﴿ مَوْقُوتًا ﴾ का मतलब है:जो यहां पर फर्ज़ और अनिवार्य के अर्थ में है,इस से अल्लाह तआला का यह कथन भी है: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ : الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ इस आयत की व्याख्या में यह इब्ने अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा का कथन है जैसा कि इब्ने जरीर अत्तबरी ने उनसे वर्णन किया है।

- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है, उन्होंने ने फरमाया: मैं ने सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना: "इस्लाम पाँच चीज़ों पर आधारित है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य परमेश्वर नहीं और यह कि हज़रत मोहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, हज़ करना और रमज़ान के रोज़े रखना"<sup>7</sup>
- अनस बिन मालिक रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, उन्होंने ने कहा: रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "जो व्यक्ति हमारे जैसी नमाज़ पढ़े और हमारे क़िबले की ओर मँह करे और हमारा ज़बीहा(हमारे हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर) खाए तो वह मुसलमान है जिसे अल्लाह और उसके रसूल का जिम्मा <sup>8</sup> प्राप्त है, अतः तुम अल्लाह के जिम्मों में ख़यानत(वादे का हनन) न करो"<sup>9</sup>
- मोअज़ रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, वह फरमाते हैं: मुझे रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस बातों की वसीयत की, उन में से आप ने यह भी कहा: जान बूझ कर कोई फर्ज़ नमाज़ न छोड़ा

7 इसे बोखारी(8) और मुस्लिम(16) ने रिवायत किया है और उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं, जैसा कि ऊपर गुजर चुका है।

8 जिम्मा का अर्थ रक्षा का वादा है, देखें: "المعجم الوسيط"

9 इसे बोखारी(391) ने वर्णित किया है।

करो,क्यों कि जो व्यक्ति जान बूझ कर कोई फर्ज नमाज़ छोड़ता है वह अल्लाह के जिम्मे(रक्षा)से निकल जाता है।<sup>10</sup>

अध्याय नमाज़ को पढ़ने,इसकी पाबंदी करने और इसमें सुस्ती करने से डरने का उल्लेख

- अल्लाह तआला का कथन है: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى﴾

अर्थात:नमाज़ों का, विशेष रूप से माध्यमिक नमाज़ का ध्यान रखो।

الصلاة الوسطى (बीच वाली नमाज़),का अर्थ असर की नमाज़ है।

- अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ीअल्लाहु अंहुमा नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्णन करते हैं कि आप ने एक दिन नमाज़ का उल्लेख किया तो फरमाया:जो व्यक्ति नमाज़ की रक्षा करता है उस के लिए वर क़यामत के दिन नूर,(आलोक)प्रमाण और नजात होगी,और जो व्यक्ति इसकी रक्षा नहीं करता उसके लिए न नूर होगा,न

---

10 इसे अहमद(5/238)ने वर्णित किया है और इसके शवाहिद के आधार पर अल्बानी ने इसे "إرواء الغلیل" में इसे सही कहा है।

बुरहान(प्रमाण)और न नजात, और वह क़यामत के दिन कारून व फिरऔन और हारून और ओबैय बिन खल्फ के साथ होगा।<sup>11</sup>

इब्नुल क़य्थिम रहीमहुल्लाहु<sup>12</sup>फरमाते हैं:इन चार व्यक्तियों का उल्लेख विशेष रूप से इस लिए किया गया है कि ये सारे काफ़िरों के सरदार थे, इस में एक बारीक बिंदु भी है, वह यह कि जो व्यक्ति नमाज़ की रक्षा नहीं करता वह या तो धन एवं संपत्ति में व्यस्त रहता है,या अपने शासन में, या अपने राज्य व सरदारी में या अपनी व्यापार में व्यस्त रहता है, अतःजिस व्यक्ति को उसका धन नमाज़ से दूर एवं व्यस्त करदे वह कारून के साथ होगा, जिसे उसका शासन नमाज़ से व्यस्त करदे वह फिरऔन के साथ होगा,जिसे उसका राज्य व सरदारी—जैसे मंत्रालय अथवा इस जैसा

---

11 इसे अहमद(2/169)आदि ने रिवायत किया है और "المسند" के शोधकर्ताओं ने इसकी सनद को हसन कहा है।

12 आप का नाम है: मुहम्मद पुत्र अबू बक्र पुत्र साद अल-ज़रई अल-दिमशकी, आप इब्ने क़ैय्थिम अल-जौज़ीय्या के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप आठवीं शताब्दी के उलेमा में से हैं। आप अपने गुरु इब्ने तैमीय्या के सानिध्य में रहे यहाँ तक कि सन 728 हिजरी में उनका देहांत हो गया, आप उनके अति विशिष्ट शिष्य रहे हैं, और उनके देहांत के बाद आपने दावत एवं इल्मी जिहाद का बीड़ा उठाया यहाँ तक कि सन 751 हिजरी में आपकी मृत्यु हो गई, आप प्रकांड विद्वान तथा अकाट्य दलील पेश करने वाले एवं प्रमाणों से सूक्ष्मसेसूक्ष्मतम मसला समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व के धनी एवं बहुतेरे पुस्तकों के लेखक हैं, आपकी पुस्तकों को लोगों ने हाथों हाथ लिया, और आपकी पुस्तकों को ऐसी स्वीकार्यता प्राप्त हुई कि आपके बाद आने वाले लोग मानो आपकी ही पुस्तकों पर आश्रित हैं, उन्होंने इस्लामी अक्रीदा को बड़े जोरदार ढंग से लोगों के समक्ष रखा व उसे फैलाया, और बिदअतियों (नवाचारियों) पर गद्य एवं पद्य दोनों रूप में प्रहार किया, विशेष रूप से दार्शनिकों (फलसफियों), क़ब्र पूजकों, तावील (शरई नुसूस व श्लोकों की मनमानी व्याख्या) करने वालों एवं सूफ़ियों पर कुठराघात किया, अल्लाह तआला की आप पर असीम कृपा हो, आपने तथा आपके गुरु ने अल्लाह के दीन को पूनर्जीवित करने का कार्य किया, संक्षेप में कहा जाए तो आप इस्लामी समुदाय में एक बड़े बदलाव का घोटक थे। आपकी जीवनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: इब्न अल-इमाद की "शज़रात अल-ज़हब" तथा इब्ने रज़ब की "ज़ैल तबक्रात अल-हनाबिलह", और आप की सबसे व्यापक एवं विस्तृत जीवनी लिखी है शैख बक्र बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह ने एवं उनकी पुस्तक का नाम है "इब्ने क़ैय्थिम अल-जौज़ीय्या हयातुहु व आसारूहु"।

कोई अन्य पद—नमाज़ से दूर कर दे वर हामान के साथ होगा और जिसे उसका व्यापार नमाज़ से फेर दे वह ओबैय पुत्र खल्फ के साथ होगा।<sup>13</sup>

- ओबादह पुत्र सामित रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, वर फरमाते हैं: मैं ने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना: "पाँच नमाज़ें हैं जो अल्लाह तआला ने बंदों पर फर्ज़ की हैं, जो व्यक्ति उन्हें पढ़े, उनमें से किसी को कम महत्वपूर्ण समझ कर न छोड़े<sup>14</sup> तो अल्लाह तआला के यहाँ उस के लिए वादा हो चुका है कि वह उसे स्वर्ग में प्रवेश प्रदान करेगा। और जो व्यक्ति उन को न पढ़े तो अल्लाह तआला के यहाँ उस के लिए कोई वादा नहीं, चाहे उसे यातना दे, चाहे स्वर्ग में प्रवेश करे"।<sup>15</sup>
- अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "क्रियामत के दिन लोगों से जिस अमल का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वर नमाज़ है, फरमाया: हमारा स्वर्श्रेष्ठ परवरदिगार देवदूतों से फरमाएगा जबकि वह (पूर्व से ही) सब जानने वाला है: मेरे बंदे की नमाज़ देखो! क्या उसने इसको पूरा किया है या इसमें कोई कमी है? अतः वह यदि पूरी हुई तो पूरी लिख दी

---

13 "كتاب الصلاة و حكم تاركها" पृष्ठ संख्या: 70, नमाज़ छोड़ने वाले को काफिर मानने वालों के प्रमाण के संदर्भ में इस कथन का उल्लेख है।

14 अर्थात् उन नमाज़ों में से किसी को पूर्ण रूप से न छोड़े।

15 इस हदीस को अबू दाउद (1420) और अहमद (5/315) ने रिवायत किया है और अल्बानी और "المسند" के शोधकर्ताओं ने इसे सही माना है।

जाएगी और यदि इसमें कोई कमी हुई तो फरमाएगा कि देखो!क्या मेरे बंदे के कुछ नवाफिल भी हैं?यदि नवाफिल हुए तो वर फरमाएगा कि मेरे बंदे के फज़ों को उसके नफलों से पूरा करदो|फिर इसी प्रकार से अन्य आ़माल लिए जाएंगे"।<sup>16</sup>

- नमाज़ के महत्व को देखते हुए ही नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के रोग में भी इसकी वसीयत की, अतःउम्म्ो सल्मा रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि जिस रोग में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन हुआ, उसमें आप फरमाया करते थे: "नमाज़(की रक्षा करो)और उन(दासी,दासों की)जो तुम्हारे अधीन हैं"।आप ने यह शब्द बार बार फरमाए यहाँ तक कि आप की ज़बान रुक गई।<sup>17</sup>

## अध्याय नमाज़ काएम करने के महत्व का उल्लेख

- नमाज़ स्वश्रेष्ठ अमल है, अतःसौबान रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, अल्लाह के रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "सीधे मार्ग

---

16 इस हदीस को अबूदाऊद(864)और अहमद(2/425)ने वर्णित किया है और उपरोक्त शब्द अबूदाऊद के हैं,और अल्बानी रहिमहुल्लाहु और "المستدر" के शोधकर्ताओं ने इसे सही माना है, जैसा कि गुजर चुका है।

17 इस हदीस को इब्ने माजा(1625)और अहमद (6/290)ने वर्णित किया है और अल्बानी ने "الإرواء" (7/238)में इसे सही कहा है।

पर स्थिर रहो और तुम (पूर्ण रूप से)स्थिर नहीं रह सकोगे, और तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ अमल नमाज़ है और वुजू की रक्षा मोमिन ही करता है"।<sup>18</sup>

- नमाज़ स्वर्ग में प्रवेश होने का एक महान कारण है,कुरान पाक की अनेक आयतों में अल्लाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वर्गवासी अपने जिन महत्वपूर्ण अमलों के कारण स्वर्ग के पात्र होंगे, उन में नमाज़ पढ़ना और ज़कात देना भी उल्लेखनीय हैं,उदाहरण स्वरूप अल्लाह तआला का यह कथन देखें:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبَارَكَ لِنَبُورِ لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: 29-30]

अर्थात:वास्तव में जो पढ़ते हैं अल्लाह की पुस्तक(कुर्आन),तथा उन्होंने स्थापना की नमाज़ की, एवं दान किया उस में से जो हम ने उन्हें प्रदान किया है खुले तथा छुपे तो वही आशा रखते हैं ऐसे व्यापार की जो कदापि हानिकर नहीं होगा।ताकि अल्लाह प्रदान करे उन्हें भरपूर उन का प्रतिफल,तथा उन्हें अधिक दे अपने अनुग्रह से, वास्तव में वह अति क्षमी आदर करने वाला है।

---

18 इस हदीस को इब्ने माजा(277)और अहमर(5/277)ने वर्णित किया है और अल्बानी ने "الإرواء" में हदीस संख्या(412)के अंतर्गत सही कहा है, इसी प्रकार "المسند" के शोधकर्ताओं ने भी इसे सही कहा है।

- बकर पुत्र अबी मूसा अपने पिता से वर्णन करते हैं कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "जिसने दो ठंडे समय की नमाज़ों को(नियमित रूप से)अदा किया,वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा"<sup>19</sup>

ठंडे समय का मतलब फजर और अ़सर की नमाज़ है,ऐसा नाम देने का कारण यह है कि इन दो नमाज़ों के समय ऋतु(सामान्य रूप से)ठंडा होता है।

- नमाज़ की पाबंदी एवं रक्षा करना नरक में प्रवेश से रोकने वाले कार्यों में से है:अतःज़ोहैर पुत्र अ़म्मारा अपने पिता रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित करते हैं, उन्होंने ने कहा:मैं ने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना: "वह व्यक्ति कभी भी अग्नि में प्रवेश नहीं होगा जो सूर्य निकलने और उसके अस्त होने से पहले नमाज़ पढ़ता है"<sup>20</sup>अर्थात फजर और अ़सर की नमाज़ें।
- नमाज़ पापों के क्षमा का माध्यम है,<sup>21</sup>अतःइब्ने मसूद रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि एक व्यक्ति ने किसी अजनबी

---

19इसे बोखारी(574)और मुस्लिम(635)ने वर्णित किया है।

20 सही मुस्लिम(634)

21 अर्थात ऐसे पाप जिनका संबंध बंदा और उसके रब से है,जैसे शराब पीना अथवा अवैध गाना बजाना आदि, किन्तु वे पाप जिन का संबंध बंदों के अधिकार से है तो उसके क्षमा के लिए यह अनिवार्य है कि उससे क्षमा मांगी जाए,चाहे वह अधिकार धन से संबंधित हो अथवा मान व सम्मान से अथवा रक्त से।

महिला का चुंबन लेलिया, उसके बाद वह रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेवा में उपस्थित हुआ और अपना पाप बताया तो उस समय यह आयत उतरी:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114]

अर्थात:तथा आप नमाज़ की स्थापना करें,दिन के सीरों पर और कुछ रात बीतने पर, वास्तव में सदाचार दुराचारों को दूर कर देते हैं यह एक शिक्षा है शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिये।

उस व्यक्ति ने आप से पूछा:क्या ये केवल मेरे लिये है?आप ने फरमाया:नहीं, बल्कि मेरी उम्मत में से जो भी इस पर अमल करे यह सब के लिए है"।<sup>22</sup>

(पापों को दूर करती हैं):अर्थात:उन्हें मिटा देती हैं।

- अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु फरमाते हैं कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : " पाँचों नमाज़ों और (हर)शुक्रवार(दूसरे)शुक्रवार तक बीच के काल के पापों का

---

22 इसे बोखारी(4687)और मुस्लिम(2763)ने रिवायत किया है और उपरोक्त शब्द बोखारी के हैं।

कफ़ारा(उनको मिटाने वाले)हैं,जब तक कबीरा(बड़े)पापों को न किया जाए"<sup>23</sup>

लाभ:विद्वानों ने इस हदीस से ज्ञान ज्ञात किया है कि पाँच समय की नमाज़ें और अन्य पुण्य के कार्य कबीरा पापों को नहीं मिटाते,बल्कि कबीरा पापों की माफी तौबा के बिना नहीं हो सकती।

- अबू हौरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से मरवी है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "तुम क्या समझते हो यदि तुम में से किसी के घर के सामने नहर हो जिससे वह हर दिन पाँच बार नहाता हो, क्या उस (के शरीर)का कोई कोई मैल कुचेल बाकी रहेगा,आप ने फरमाया यही पाँच नमाज़ों का उदाहरण है, अल्लाह तआला उनके माध्यम से पापों को साफ कर देता है"<sup>24</sup>
- फजर और अ़सर की नमाज़ें नियमित रूप से पढ़ने का सवाब यह है कि आखिरत में अल्लाह के दर्शन का सौभाग्य होगा जो कि सोवर्गवासियों के लिये सबसे बड़ा उपकार होगा,इसका प्रमाण जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बिजली रज़ीअल्लाहु अंहु की यह हदीस है,फरमाते हैं:हम एक रात नबी रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे।आपने चौधवीं रात के चाँद

---

23 सही मुस्लिम(233)

24 सही मुस्लिम(667)

की ओर देखा तो फरमाया: "निसंदेह तुम अपने रब को देखोगे जिस प्रकार तुम इस चाँद को देख रहे हो,उसे देखने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी,इस लिये यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो सूर्य उगने और सूर्य अस्त होने से पहले नमाज़ न छोड़ो"फिर आप ने यह आयत पढ़ी:

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق:39]

अर्थात: तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ सूर्य के निकलने से पहले तथा डूबने से पहले<sup>25</sup>

हदीस में (لَا تُضَامُونَ) का शब्द आया है जिस का अर्थ है:अल्लाह को देखते समय आपस में तुम्हारे बीच मुठभेड़ नहीं होगी।

(لَا تُضَامُونَ) के पेश और मيم के सुकून के साथ भी आया है,इसका अर्थ है:अल्लाह को देखते समय तुम्हारे ऊपर अन्याय नहीं होगा कि तुम में से कोई देखे और कोई न देखे<sup>26</sup>

यह अर्थ भी हो सकता है कि अल्लाह को देखते हुए अल्लाह के नूर के कारण तुम्हारी आंखें नहीं चोंध्याएगी,क्यों कि मनुष्य अल्लाह के नूर को

25 इसे बोखारी(4851)और मुस्लिम(633)ने वर्णित किया है और उपरोक्त शब्द बोखारी के हैं।

26 देखें: النهاية، مادة: ضمم

झेल नहीं सकता, किन्तु आखिरत में मोमिनों को इतनी शक्ति प्रदान की जाएगी कि वर उस नूर को झेल सके, उसके बाद अल्लाह तआला के दर्शन का सौभाग्य प्रदान होगा।

और सारे अर्थ सही हैं।

## अध्याय निर्धारित समय पर नमाज़ अदा रकने की अनिवार्यता का बयान

- अल्लाह तआला का कथन है: ﴿لِإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

अर्थात: निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है।

इब्ने मस्ऊद रज़ीअल्लाहु अंहु का कथन है: नमाज़ का निर्धारित समय है जिस प्रकार हज का निर्धारित समय है।<sup>27</sup>

- अबु अलमलीह फरमाते हैं: हम अबु आलूद दिन में हज़रत बुरीदा रज़ीअल्लाहु अंहु के साथ एक युद्ध में थे, उन्होंने ने फरमाया: असर की नमाज़ जल्दी पढ़ लो क्यों कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम

---

27 इस कथन को इब्ने हज़र अत्तबरी ने उपरोक्त आयत की व्याख्या में वर्णित किया है।

का कथन है: "जिस व्यक्ति ने अ़सर की नमाज़ छोड़ दी, उसका अ़मल नष्ट हो गया"<sup>28</sup>

## अध्याय निर्धारित समय पर नमाज़ पढ़ने के महत्व का उल्लेख

- निर्धारित समय पर नमाज़ पढ़ना सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से है, अतः अ़ब्दुल्लाह पुत्र मस्ऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: मैंने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: अल्लाह तआला को कोनसा अ़मल सबसे अधिक पसंद है? आपने फरमाया: "नमाज़ को समय पर पढ़ना", उन्होंने ने पूछा: फिर कोनसा? आपने फरमाया: "माता-पिता के साथ सुन्दर व्यवहार करना", उन्होंने पूछा: फिर कोनसा? आपने फरमाया: "अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना", हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु कहते हैं: रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इसी प्रकार उल्लेख किया, यदि मैं और पूछता तो आप और कहते<sup>29</sup>

## अध्याय नमाज़ को उसके निर्धारित समय से विलम करने के कठोर निवारण का उल्लेख

---

28 इस हदीस को बोखारी(553)ने रिवायत किया है।

29 इस हदीस को बोखारी(5970)और मुस्लिम(85)ने वर्णित किया है और उपरोक्त शब्द बोखारी के है।



- इब्नुल क़य्मि रहिमहुल्लाहु इस आयत की व्याख्या में लिखते हैं:आयत में  $\text{و}$  का अर्थ नमाज़ छोड़ना है, यदि यह अर्थ न होता तो उन्हें नमाज़ी नहीं कहा जाता, बलिक इसका अर्थ नमाज़ की अनिवार्यता से लापरवाही करना है, या तो इसके निर्धारित समय से,जैसा कि इब्ने मस्ज़ूद आदि का कथन है, या विनम्रता व विनयशीलता से लापरवाही करना है।

सही यह है कि इससे दोनों प्रकार की लापरवाही है, क्यों कि अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र तो किया है, साथ ही उनकी यह विशेषता बताई है कि वे इसमें लापरवाही करते हैं,जिसका अर्थ इसके अनिवार्य निर्धारित समय से लापरवाही करना,अथवा अनिवार्य सत्यनिष्ठा और अनिवार्य विनयशीलता से लापरवाही करना है।<sup>32</sup>

- इब्ने उमर रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:जिस व्यक्ति की असर की नमाज़ छूट गई, मानो उसके सारे संतान और धन लुट गए"।<sup>33</sup>

32 देखें: "مدارج السالكين"، منزلة الخشوع:

33 इसे बोखारी(552)और मुस्लिम(626)ने वर्णित किया है।

(मानो उसके सारे संतान और धन लुट गए)अर्थात:वे सब छीन लिए गए और वह परिवार व संतान एवं धन से वंचित हो गया"<sup>34</sup>

- अबूल अलमलीह फरमाते हैं:हम अबू आलूद दिन में हज़रत बुरीदा रज़ीअल्लाहु अंहु के साथ एक युद्ध में थे, उन्होंने फरमाया:असर की नमाज़ जल्दी पढ़लो क्यों कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है: "जिसने असर की नमाज़ छोड़दी, उसका अमल नष्ट होगया"<sup>35</sup>

---

34 एक व्यक्ति ने बयान किया कि वह एक बार असर की नमाज़ के समय सो गया, तो सपने में देखा कि वह यात्रा में है और उसके पास एक नई कार है जिस में उसके परिवार भी सवार हैं,अतःवह किसी काम से कार से उतरा और उसी समय एक चोर ने वह कार परिवार समेत चोरी करली, उनका कहना है:फिर मेरी आँख खुल गई तो मैं ने उस सपने को इसी हदीस से व्याख्या किया।

- 35 इस हदीस को बोखारी ने वर्णित किया है।

लाभ: यह ज्ञात है कि पूर्णता से अमाल को नष्ट करने वाला कार्य केवल कुफ़्र अकबर(बड़ा कुफ़्र)है जो मनुष्य को इस्लाम से बाहर करदेता है, इसी आधार पर विद्वानों के एक समूह ने कहा है कि:जो व्यक्ति जान बूझ कर नमाज़ को उसके निर्धारित समय से विलंब करे वह कुफ़्र का कार्य करता है,अल्लाह का शरण,इनका प्रमाण बुरीदा की उपरोक्त हदीस है, तथा यह हदीस भी उनका प्रमाण है कि: (हमारे बीच और उन(काफ़िरों)के बीच जो अनुबंध है, वह नमाज़ है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ़्र किया), इस हदीस में(हमारे बीच और उनके बीच)का अर्थ:मुसलमानों और काफ़िरों के बीच है, सर्वोत्तम कथन के अनुसार वह काफ़िर हो या नहीं,यह तो तय है कि उसके अमाल नष्ट हो जाते

- सुमरा बिन जुनदुब रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है,उन्हों ने कहा:रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार सहाबा से फरमाया करते थे: "क्या तुम में से किसी ने कोई सपना देखा है?" जिसने देखा होता वह अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपको बताता, आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुबह फरमाया:आज रात मेरे पास दो आने वाले आए, उन्हों ने मुझे उठाया और मुझसे कहा: (मेरे साथ)चलो, मैं उनके साथ चल दिया,अतःहम एक व्यक्ति के पास आए जो लेटा हुआ था और दूसरा व्यक्ति उसके पास एक पत्थर लिए खड़ा था, अचानक वह उसके सर पर पत्थर मारता तो उसका सर तोड़ देता और पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता, वर पत्थर के पीछे जाता और उसे उठा लाता,उसके वापस आने से पहले पहले दूसरे का सर सही हो जाता

---

हैं,चाहे वह अपने ईमान पर स्थिर ही क्यों न रहे,जो कि मामूली बात नहीं है,इस लिए उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो काम काज में व्यस्त रहते हैं और फजर की नमाज़ के लिए नहीं जगते, अधिकतर लोगों की आदत बन चुकी है कि वह ड्यूटी टाइम के अनुसार अलार्म लगाते हैं,जो कि सामान्य रूप से फजर की नमाज़ और सूर्य उगने के बाद का समय होता है,और जब नीन्द से उठते हैं तो फजर को क़ज़ा करते हैं, जबकि उसकी क़ज़ा सही होगी या नहीं यह विद्वानों के बीच विवाद का विषय है,والله المستعان-

जैसा कि पहले था, खड़ा हुआ व्यक्ति फिर इसी प्रकार मारता और ऐसा ही होता जैसे पहले हुआ।

आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:मैंने दोनों से कहा:سبحان الله क्या बात है?यह दोनों व्यक्ति कौन हैं?

उन्होंने कहा आगे चलो, आगे चलो।

हदीस के अंत में है कि उन दोनों देवदूतों ने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस व्यक्ति के बारे में और उसके पाप के बारे में बताया और फरमाया:वह प्रथम व्यक्ति जिसके पास आप गए थे और पत्थर से उसका सर कुचला जा रहा था,यह वह व्यक्ति है जो कुरान सीखता फिर उसे छोड़देता<sup>36</sup> और फर्ज नमाज़ पढ़े बिना सो जाता था।<sup>37</sup>

- अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "जब मनुष्य रात(रात के समय)सो जाता है तो शैतान उसके मगज<sup>38</sup>पर तीन गिरहें लगादेता है, प्रत्येक गिरह पर यह फूंक देता है कि अभी तो बहुत रात बाकी है सोजाओ, फिर

---

36 अर्थात वह इसके प्रति लापरवाह था, अतःन इसके अहकाम सीखता और न इसके अनुसार अमल करता।

37 इस हदीस को बोखारी(7047)ने वर्णित किया है।

38 अर्थात उसके सर के पिछले भाग पर,इसका मतलब यह कि वह इतनी गहरी और लंबी नींद में चला जाता जाता है, मानो उसके सर पे तीन गिरह लगा दी गई हों,देखें:النهيية

यदि मनुष्य जाग गया हो और अल्लाह का स्मरण किया तो एक गिरह खुल जाती है, यदि उसने वजू कर लिया तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है, उसके बाद अगर उसने नमाज़ नमाज़ पढ़ी तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है, फिर सुबह को वह प्रसन्न लगता है, अन्यथा सुबह के समय उदास और थका हुआ जागता है"<sup>39</sup>

- अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, उन्होंने ने कहा कि पैगंबर रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात की गई जो रात से ले कर सुबह तक सोया रहा, आप ने फरमाया: "यह ऐसा व्यक्ति है जिस के दोनों या एक कान में शैतान ने पैशाब कर दिया है"<sup>40</sup>
- उमर पुत्र अब्दुलअज़ीज़ ने अपने वालियों(अर्थात अनेक नगरों के राज्यपालों)को लिख भेजा कि नमाज़ के समय व्यस्त रहने से बचो, क्योंकि जो व्यक्ति नमाज़ को नष्ट करदे, वह इस्लाम के अन्य अहकाम को अधिक नष्ट कर देता है"<sup>41</sup>

## अध्याय जमाअत के साथ नमाज़ के महत्व का उल्लोख

39 इस हदीस को बोखारी(1142)और मुस्लिम(776)ने वर्णित किया है

40 इस हदीस को बोखारी(3270)और मुस्लिम(774)ने रिवायत किया है।

41 इस कथन को अबू नईम ने " حلیة الأولیاء " (7351)में रिवायत किया है, प्रकाशक: دار الکتب العلمیة , बैरुत

- अबूहोरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, उन्होंने कहा: रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "मनुष्य का मजाअत के साथ(सामूहिक रूप में)नमाज़ पढ़ना उसके अपने घर और अपने बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से पचीस गुणा अधिक पूण्य का कारण है और यह इस प्रकार कि जब वह उत्तम रूप से वज़ू करके मस्जिद की ओर जाए और केवल नमाज़ के लिये चले तो जो पैर भी उठाएगा उसके बदले उसका एक स्थान उच्च होगा और एक पाप भी खतम होगा, फिर जब वह नमाज़ अदा करलेगा तो जब तक अपने नमाज़ के स्थान पे होगा,देवदूत उसके लिये दुआ करते रहेंगे कि हे अल्लाह! तू इस प्र क़पा व दया फरमा, और जब तक तुम में से कोई नमाज़ का प्रतिक्षा करता है तो वह मानो नमाज़ ही के अवस्था में होता है"<sup>42</sup>
- अब्दुल्लाह पुत्र मस्ज़द रज़ीअल्लाहु अंहु फरमाते हैं:जो यह चाहे कि कल(क़यामत के दिन)अल्लाह तआला से मुसलमान के रूप में मिले तो वह जहां से उन(नमाज़ों)के लिये बोलाया जाए,उन नमाज़ों को पूरी करे(वहां मस्जिद में जा कर सही ढंग से उन्हें अदा करे)क्योंकि अल्लाह तआला ने मुम्हारे पैगंबर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये हिदायत के मार्गों को निश्चय कर दिया है और यह (मस्जिदों में सामूहिक नमाज़ें)भी उन्हीं तरीकों में से हैं|क्योंकि यदि तुम नमाज़ें अपने घरों में पढ़ोगे तो तुम, जैसे यह समूह से पीछे रहने वाला,

---

42 इस हदीस को बोखारी(647)और मुस्लिम(649)ने इसका एक टुकड़ा वर्णित किया है।

अपने घर में पढ़ता है तो तुम अपने नबी के मार्ग को छोड़ दोगे और यदि तुम अपने नबी के मार्ग को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। कोई व्यक्ति जो पवित्रता प्राप्त करता है (वज़ू करता है) और अच्छे से वज़ू करता है, फिर इन मस्जिदों में से किसी एक में जाता है तो अल्लाह तआला उसके प्रत्येक पग के बदले, जो वह उठाता है, एक नेकी लिखता है, और उसके कारण उसका एक स्थान उच्च कर देता है और उसका एक पाप मिटा देता है, और मैंने देखा कि हम में से कोई (भी) नमाज़ सामुहिक रूप से पढ़ने से पीछे न रहता था, सिवाए ऐसे मोनाफिक (पाखंडी) के जिसका निफाक (पाखंड) सबको मालूम होता (बल्कि कभी कभी ऐसा होता कि) एक व्यक्ति को इस प्रकार लाया जाता कि (दुर्बलता और निर्बलता के कारण) उसे दो व्यक्तियों के बीच सहारा दिया गया होता, फिर उसे सफ में खड़ा किया जाता।<sup>43</sup>

- मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले व्यक्ति को क़्यामत के दिन अल्लाह तआला अपने साये के नीचे स्थान देगा, जिस दिन सूर्य मनुष्य से एक मील की दूरी पर हागा, अतः अबूहौरैरह रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है वह पैगंबर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया: सात लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तआला क़्यामत के दिन अपने साये के नीचे स्थान प्रदान करेगा, उस दिन उसके साये<sup>44</sup> के

43 इस हदीस को मुस्लिम (654) ने रिवायत किया है।

44 इस हदीस को बैहकी ने अपनी पुस्तक (793) में अबूहौरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से इन शब्दों में रिवायत किया है: सात लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तआला क़्यामत के दिन

अतिरिक्त और कोई साया नहीं होगा,निष्पक्ष शासक,वह यूवा जो अल्लाह की पूजा करते हुए लपा बढ़ा हो, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े,वह व्यक्ति जिसका हृदय मस्जिद में लगा रहता है...<sup>الحديث</sup>

- मुस्लिम की एक वर्णन में आया है:वह व्यक्ति जब मस्जिद से निकलता है तो उसी के साथ मोअल्क़(लटका हुआ)रहता है यहां तक कि उसमें लौट आए...<sup>الحديث</sup>,<sup>45</sup>
- अबूहौरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु पैगंबर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया: "जो व्यक्ति दिन के पहले भाग में या दिन के दूसरे भाग में मस्जिद की ओर गया अल्लाह तआला(हर बार आने पर)उसके लिये स्वर्ग में (النُّزُل) सत्कार का प्रबंध फरमाता है, जब भी वह(आए)सुबह को आये अथवा शाम को आए"<sup>46</sup>

---

अपने अर्श के साये के नीचे स्थान प्रदान करेगा,उस दिन उसके साये के अतिरिक्त और कोई साया नहीं होगा...<sup>الحديث</sup>, इस रिवायत को पुस्तक के शोधकर्ता अब्दुल्लाह अलहाशदी ने सही कहा है।

दोनों हदीसों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्यों कि उपरोक्त साये को अर्श की ओर भी मान्य है और अल्लाह की ओर भी मान्य है,स्वामित्व और सम्मान के अर्थ में।

45 इस हदीस को मुस्लिम(6806)और मुस्लिम(1031)ने रिवायत किया है।

46 इसे बोखारी(662)और मुस्लिम(669)ने वर्णित किया है और उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

النزل (सत्कार) का अर्थ वह स्थान है जो अतिथि के लिये तैयार किया जाता है।<sup>47</sup>

अध्याय प्रथम जमाअत जिस के लिये अज़ान दी जाती और इक्रामत कही जाती है, उसमें नमाज़ पढ़ने की अनिवार्यता और उससे पीछे रहने के निन्दा का व्याख्या

- प्रथम जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की अनिवार्यता का एक प्रमाण यह है कि अल्लाह तआला ने युद्ध के अवस्था में भी सामूहिक नमाज़ को अनिवार्य कर दिया है जो कि सबसे कठिन समय होता है, यह नमाज़ صلاة الخوف (भय वाली नमाज़) से जानी जाती है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية

अर्थात: तथा (हे नबी) जब आप (पणक्षेत्र में) उपस्थित हों, और उन के लिये नमाज़ की स्थापना करें तो उन का एक गिरोह आप के साथ खड़ा हो जाये।

- अल्लाह तआला का कथन है: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

---

47 देखें: "النهيية", इसी प्रकार देखें: इब्ने हजर की "فتح الباری" में उपरोक्त हदीस की व्याख्या।

अर्थात:तथा नमाज़ की स्थापना करो,और ज़कात दो तथा झुकने वालों के साथ झुको(रुकू करो)

इस आयत में रुकू करने वालों का अर्थ मस्जिद की जमाअत है।

- अबूहोरैरह रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "उस हस्ती का शपथ जिस के हाथ में मेरा प्राण है!मेरा इरादा हुआ कि मैं ईंधन इकट्ठा करनेका आदेश दूं,फिर मैं उन लोगों के पास जाऊं(जो समूह में शरीक नहीं होते)और उन्हें उनके घरों समेत जलादूं, शपथ है उस हस्ती की जिस के हाथ में मेरा प्राण है!तुम में से किसी को यदि आशा हो कि वहां मस्जिद में से मोटी हड्डी अथवा अच्छे पाए मिलेंगे तो वह अवश्य इशा में भी उपस्थित हो"।

सही मुस्लिम की रिवायत में है:फिर मैं कुछ लोगों को साथ लेकर,जिन के पास लकड़ियों के गट्ठे हों, उन लोगों की ओर जाऊं जो नमाज़ में उपस्थित नहीं होते,फिर उन्हें उनके घरों समेत जलादूं<sup>48</sup>

- इब्ने अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "जो व्यक्ति अज़ान सुन कर(नमाज़ के

---

48 इस हदीस को बोखारी(7224)और मुस्लिम(651)ने वर्णित किया है।

लिये मस्जिद में) नहीं आता, उसकी कोई नमाज़ नहीं, सिवाए किसी असुविधा की स्थिति में।"<sup>49</sup>

- अबूहौरैरह रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, वह फरमाते हैं: नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेवा में एक अंधा आया और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई लाने वाला नहीं जो (हाथ से पकड़ कर) मुझे मस्जिद में ले आए, उसने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनुरोध किया कि उसे अनुमति दी जाए कि वह अपने घर में नमाज़ पढ़ले, आपने उसे अनुमति दे दी, जब वह वापस हुआ तो आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बलाया और फरमाया: "क्या तुम नमाज़ का बोलावा (अज़ान) सुनते हो?" उसने कहा: जी हां, आपने फरमाया: "तो उस पर लब्बेक कहो।"<sup>50</sup>
- निष्कर्ष यह कि समूह में मस्जिद में नमाज़ अदा करना अनिवार्य है, हां कि कोई खेद हो जैसे भय, वर्षा, अथवा भीषण आंधी, समूह का अर्थ प्रथम जमाअत, जिस के लिये अज़ान दी जाती और इक़ामत कही जाती है, कुछ लोग प्रथम जमाअत से पीछे रह जाते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, जिसके कारण हम देखते हैं कि नमाज़ी कई समूहों

---

49 इस हदीस को इब्ने माजा (793) आदि ने रिवायत किया है और अल्बानी ने "الإرواء" (2/337) में इसे सही कहा है।

50 सही मुस्लिम (653)

में बट जाते हैं और कोई एक जमाअत नहीं रह पाती,अल्लाह ही हिदायत देने वाला है।<sup>51</sup>

## अध्याय शुक्रवार की नमाज़ छोड़ने के निवारण का उल्लेख

- इब्ने उमर और अबूहोरैरह रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की सीढियों पर खड़े हो कर फरमाया: "लोग जुमा की नमाज़ छोड़ने से रुक जाएं वरना अल्लाह तआला उनके हृदयों पर मोहर लगा देगा और वह निश्चय रूप से ग़ाफिलों में से हो जाएंगे"।<sup>52</sup>

जुमा की नमाज़ के लिये जल्दी जाने और प्रथम पंक्ति में बैठने के महत्व की व्याख्या

- अबूहोरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "पुरुषों की सर्वोत्तम पंक्ति प्रथम और बदतर पंक्ति अंतिम पंक्ति है"।<sup>53</sup>

---

51 इस विषय पर अधिक ज्ञान के लिये देखें: "أهمية الصلاة في ضوء النصوص وسير الصالحين" लेखक: फज़ल इलाही ज़हीर, प्रकाशक: مؤسسة الجزيرة - رियाज़

52 सही मुस्लिम(865)

53 सही मुस्लिम(440)

- अबूहोरैरह रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "यदि तुम जानलो,अथवा लोग जानलें कि प्रथम पंक्ति का क्या (महत्व) है तो इसके लिये शलाका हो"<sup>54</sup>
- अबूहोरैरह रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अज़ान और प्रथम पंक्ति में किया पुण्य है,फिर वह अपने लिये मतदान करने के अतिरिक्त कोई उपाय न पाएं तो अवश्य मतदान करें।और लोगों को ज्ञात हो जाए कि ज़ोहर की नमाज़ के लिये जलदी आने का कितना पुण्य है तो अवश्य स्पर्था करेंगे।और अगर वह जान लें कि इशा और फजर की नमाज़ समूह में पढ़ने में कितना पुण्य है तो इन दोनों(की जमाअत)में अवश्य आएंगे यद्यपि उन्हें चूतड़ों के सहारे चल कर आना पड़े"<sup>55</sup>
- बरा बिन अज़िब रज़ीअल्लाहु अंहु फरमाते हैं कि सलल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे: "अल्लाह तआला प्रथम पंक्तियों में आने वालों पर कृपा नाज़िल करता है और देवदूत उनके लिये दुआएँ करते हैं"<sup>56</sup>

---

54 सही मुस्लिम(439)

55 सही बोखारी(615)और सही मुस्लिम(437)

56 इस हदीस को अबूदाउद (664)ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इसे सही कहा है।

इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में इन शब्दों के साथ यह हदीस रिवायत किया है : अल्लाह तआला प्रथम पंक्ति ( में आने वालों ) पर रहमत(कृपा)उतारता है और देवदूत उनके लिए दुआएं करते हैं।

- अरबाज़ पुत्र सारिया रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली पंक्ति वालों के लिये तीन बार क्षमा की दुआ फरमाते थे और दूसरी पंक्ति के लिये एक बार।<sup>57</sup>

निसाई में यह शब्द आए हैं:प्रथम पंक्ति वालों के लिये तीन बार दुआ फरमाते थे और दूसरी पंक्ति के लिये एक बार।

- अबूसईद खुदरी रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने (कुछ)सहाबा में यह बात देखी कि वे पीछे रहते हैं,आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "जो लोग पीछे रहने को आदत बना लेते हैं उन का अंताम यह होगा कि अल्लाह तआला उन्हें पीछे करदेगा"।<sup>58</sup>

अर्थात अपने अपार कृपा,दया एवं उच्च स्थान से पीछे करदेगा।

---

57 इसे निसाई(816)और इब्ने माजा(996)ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इसे सही कहा है।

58 सही मुस्लिम(438)

- आयशा रज़ीअल्लाहु अंहा से वर्णित है कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "जो लोग प्रथम पंक्ति से पीछे रहते(और इसे अपनी आदत बना लेते)हैं अल्लाह उन्हें भी पीछे करदेगा"<sup>59</sup>
- इब्राहीम पुत्र यज़ीद नखई<sup>60</sup> फरमाते हैं:जिस व्यक्ति को तुम देखो कि वह तकबीरे इला(प्रथम तकबीर) को पकड़ने में सुस्ती करता है,उससे अपने हाथ धो लो<sup>61</sup>

## अध्याय जो व्यक्ति पूर्णता से रुकू और सजदा ने करे उसके प्रति धमकी का उल्लेख

- अबूहोरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि एक बार रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए,एतने में एक व्यक्ति आया और उसने नमाज़ पढ़ी फिर उसने आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया|आपने(सलाम का उत्तर देने के बाद)फरमाया: "वापस जाओ और नमाज़ पढ़ो तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी"|वह व्यक्ति वापस

59 इस हदीस को अबूदाउद (679)ने रिवायत किया है और अल्बानी रहिमहुल्लाहु ने इसे सही कहा है,चेतावनी:हदीस का अनुपूरक इस प्रकार है:"अल्लाह उन्हें नरक में भी पीछे करदेगा",किन्तु शैख अल्बानी ने इस अनुपूरक को ज़ईफ माना है,इस लिये मैंने इसका उल्लेख नहीं किया,देखें:"السلسلة الضعيفة" (6442)

60आप इमाम हाफिज़ और फकीहुल इराक़ हैं,हदीस के वर्णनकर्ताओं में से हैं,आप का निधन सन 96 हिजरी में हुआ,आपकी जीवनी के लिये देखें: "سير النبلاء" (4/520)

61 इस कथन को हाफिज़ अबू नईम अलअसबहानी ने "حلية الأولياء" (5489)में रिवायत किया है,शोध:मुस्तफा अब्दुलकादिर,प्रकाशक:دار الكتب العلمية—बैरुत

गया और उसी प्रकार नमाज़ पढ़ी जिसे उसने(पहले)पढ़ी थी,फिर उसने आकर नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया,आपने(सलाम का उत्तर देने के बाद)फरमाया:"वापस जाओ और नमाज़ पढ़ो तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी",फिर इसी प्रकार तीनों बार हुआ अंतः उसने कहा:शपथ है उस अल्लाह की जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है!मैं इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता,अतःआप मुझे बता दीजिये।आपने फरमाया:"अच्छा जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो,फिर कुरान से जो तुम्हें याद हो पढ़ो,उसके बाद आराम से रुकू करो,फिर सर उठाओ और सीधे खड़े होजाओ,इसी प्रकार अपनी पूरी नमाज़ पूरी करो"।<sup>62</sup>

यह हदीस विद्वानों के बीच *حدیث المسیء صلاته* के नाम से प्रसिद्ध है,इस हदीस से ज्ञात होता है कि क्याम और रुकू व सुजूद जैसे नमाज़ के समस्त अंगों को पूरा करने में सतुष्टि एक स्तंभ का स्थान रखता है।

- जैद बिन वहब से वर्णित है,वह फरमाते हैं:हम होज़ैफा रज़ीअल्लाहु अंहु के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक व्यक्ति *ابواب کنده* (द्वार का नाम) से प्रवेश किया और नमाज़ पढ़ने लग,किन्तु नमाज़ में रुकू व सुजूद पूर्णता से अदा नहीं किये,जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो होज़ैफा रज़ीअल्लाहु अंहु ने पूछा:तुम कितने वर्ष से इस प्रकार नमाज़ पढ़

---

62सही बोखारी(757)और सही मुस्लिम(397)

रहे हो?उसने उत्तर दिया:चालीस वर्षों से,होज़ैफा रज़ीअल्लाहु अंहु ने कहा:तुमने चालीस वर्षों से नमाज़ नहीं पढ़ी,यदि इसी प्रकार नमाज़ पढ़ते हुए तुम्हारा निधन होगया तो तुम इस फ़ितरत(प्रकृति ) के अतिरिक्त(किसी और फ़ितरत फ़ितरत पर)मरोगे जिस पर मोहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था।<sup>63</sup>

- अब्दुर रहमान पुत्र शिब्ल रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों से मना फरमाया:कौव्वे के जैसा ठोंगे मारने से,दरिंदे के जेसे बांह बिछाने से और व्यक्ति नमाज़ के लिये एक ही स्थान निश्चित करले,जैसे झूट(बैठने के लिये)एक स्थान निश्चित करलेता है।<sup>64</sup>
- (कौव्वे के जैसे ठोंगें मारने से रोका),इसमें हलका सजदा करने और सजदे में असंतुष्टि से रोका है,यही कारण है कि विद्वानों ने धीरता को नमाज़ के स्तंभों में से एक स्तंभ माना है,जिसके बिना नमाज़ सही नहीं होती,और छोड़ देने से नमाज़ खराब होजाती है,आप

---

63 इस घटना का मोहम्मद बिन नासिर मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة", अध्याय ذكر الكفار تارك الصلاة, संख्या(940)में वर्णित किया है।

64 इस हदीस को इमाम निसाई(1111)और इब्ने माजा(1429)ने वर्णित किया है और अल्बानी रहिमहुल्लाहु ने इसे हसन कहा है।

(दरिंदे के जैसे बांह फेलाने से मना किया)इसका अर्थ है कि सजदा की स्थिति में अपने बांह भूमि पर फैलादे,जबकि सही तरीका यह है कि केवल हथेलियों को फैलाकर रखे और बाहों को भूमि से उठा रक रखे।

सलल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से रुकू और सजदा किया करते थे,अतःरुकू करते तो पूरी धीरता के साथ रुकू में रहते,सजदा करते तो पूरी धीरता से सजदा में रहते और मासूर दुआएं पढ़ते, इस लिये आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुगमन अनिवार्य है,पैगंबर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है कि व्यक्ति की लंबी नमाज़ उसकी बौद्धिकता व अंतर्दृष्टि का प्रमाण है।<sup>65</sup>

- इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु फरमाते हैं:अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾

अर्थात:तथा नमाज़ की स्थापना करो।

अतःअल्लाह ने हमें नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया,जिस का मतलब है इसे सही और पूरे रूप में क़्याम,रुकू व सजूद और जिर्को और दुआओं के साथ अदा किया जाए,अल्लाह तआला ने सफलता को नमाज़ में नमाज़ी के विनम्रता एवं विनयशीलता पर निर्भर माना हैख,अतःजिस व्यक्ति की नमाज़ में विनम्रता एवं विनयशीलता ने हो वह सफल लोगों में से नहीं है,यह असंभव है कि जल्द बाजी में ठोंगे मारते हुए जो नमाज़ पढ़ी जाए,उस में विनम्रता एवं विनयशीलता हो,बल्कि शांति के बिना विनम्रता एवं विनयशीलता का संकल्प ही नहीं किया जा सकता है,नमाज़ जितना शांतिपूर्ण होगी उतना ही उसमें विनम्रता एवं विनयशीलता भी होगा,और विनम्रता एवं विनयशीलता जितनी कम होगी उतना ही जल्दबाजी

---

65 सही मुस्लिम(869)

बढ़ेगी,यहां तक कि उसके शरीर की गति उस बेकार गति के जैसा होजएगी जिसमें न तो विनम्रता एवं विनयशीलता होता है,न बंदगी का भाव,और न बंदगी का ज्ञान|<sup>66</sup>

## अध्याय नमाज़ छोड़ने वाले का हुकुम

शहादतैन के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा स्तंभ नमाज़ ही है,जिस ने इसकी अनिवार्यता का इंकार करते हुए इसे छोड़ दिया तो वह आम सहमति से काफिर है,और जो व्यक्ति सुस्ती में इसे छोड़दे,उसके प्रति प्राचीन काल एवं आधुनिक काल के विद्वानों दो पक्ष हैं,<sup>67</sup> इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु अपनी पुस्तक "كتاب الصلاة وحكم تاركها" के आरंभ में लिखते हैं:

इस विषय में मुसलमानों के बीच कोई तमभेद नहीं है कि जान बूझ कर फर्ज़ नमाज़ को छोड़ना सर्वश्रेष्ठ पापों में से है,जिसका पाप अल्लाह के यहां हत्या,डाका डालना,बलातकार,चोरी और शराब पीन से बढ़ कर है,और ऐसा व्यक्ति दुनया एवं आखिरत में अल्लाह की यातना,उसकी नाराजगी और रुसवाई का पात्र होता है|समाप्त

- सुस्ती में नमाज़ छोड़ने वाला काफिर है,इसका एक प्रमाण सूरह मरयम में अल्लाह तआला का यह कथन है:

---

66 पृष्ठ संख्या 339-340 थोड़े हेरे-फेर के साथ "كتاب الصلاة وحكم تاركها" فصل: قول المطولين للصلاة 66

67 देखें: "شرح النووي لصحیح مسلم، کتاب الايمان، مقدمة باب "بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة": 67

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا \* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا﴾

अर्थात:फिर इन के पश्चात ऐसे कपूत पैदा हुये,जिन्हों ने गँवा दिया नमाज़ को तथा अनुसरण किया मनोकांक्षावों का,तो वह शीघ्र ही कुपथ(के परिणाम)का सामना करेंगे|परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली,तथा ईमान लाये और सदाचार किये तो वही स्वर्ग में प्रवेश पायेंगे और उन पर तनिक अत्याचार नहीं किया जाएगा|

तर्क यह है कि अल्लाह तआला ने नमाज़ों को छोड़ने और मन की सुनने वालों के प्रति फरमाया:(सिवाए उनके जो तौबा करले और ईमान लेआएं),जो इस बात का प्रमाण है कि नमाज़ छोड़ने और मन की बात मानने की स्थिति में वह मोमिन नहीं थे|

• अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

अर्थात:हे ईमान वालो!तुम्हें अचेत न करें तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान अल्लाह के स्मरण से और जो ऐसा करेंगे वही क्षति ग्रस्त हैं|

इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु इस आयत की व्याख्या में लिखते हैं:तर्क यह है कि इस आयत में पूर्णतया हानि का आदेश उस व्यक्ति पर लगाया जो अपने धन एवं संतान में व्यस्त होने के कारण नमाज़ से लापरवा हो गया

और पूर्णतया हानि केवल काफिरों के लिये होता है,और यदि मुसलमान को अपने पाप एवं नाफरमानी के कारण हानि हो जाए तो उसे आखिरत में लाभ मिल जाएगा।<sup>68</sup>

- अल्लाह तआला ने सूरह अलतौबा में मुशरिकों के विषय में फरमाया:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

अर्थात:तो यदि वह (शिरक से)तौबा कर लें और नमाज़ की स्थापना करें,और ज़कात दें तो तुम्हारे धर्म-बंधु हैं।

इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु फरमाते हैं:मोमिनों का भाईचारा केवल नमाज़ को पढ़ने के आधार पर है,जब वह नमाज़ न पढ़ेंगे तो वह मोमिनों के भीई न होंगे,क्योंकि वह मोमिन नहीं,क्योंकि अल्लाह का आदेश है *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ* समस्त मोमिन आपस में भीई हैं।<sup>69</sup>

नमाज़ छोड़ने वाले के काफिर होने का प्रमाण हदीसों में बहुत आई है,जिनमें से कुछ ये हैं:

---

68 "كتاب الصلاة" पृष्ठ संख्या 60 नमाज़ छोड़ने वाले को काफिर मानने वालों के प्रमाणों के अध्याय में

69 उपरोक्त संदर्भ पृष्ठ संख्या 59

- बरीदह बनि अलहसीब रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है,रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"हमारे और उन(काफिरों)के बीच अंतर नमाज़ से है,जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ़ किया"।<sup>70</sup>
- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ीअल्लाहु अंहुमा ने फरमाया कि मैं ने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना:"निःसंदेह मनुष्य और शिर्क व कुफ़ के मध्य(अंतर मिटाने वाला कार्य)नमाज़ का छोड़ना है"।<sup>71</sup>
- सौबान रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि मैंने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना:बंदा व ईमान व कुफ़ के बीच(फैसला

70 इस हदीस को तिरमिज़ी ( 2621 ), निसाई ( 462 ), इब्नेमाजा ( 1079 ), इब्ने हिब्बान(1454),अहमद(5/346)और लालकाई ने "شرح اصول اعتقاد اهل السنة" (1520)में अध्याय الصلاة من الإيمان में रिवायत किया है,अल्बानी ने इब्ने अबी शैबा की पुस्तक "الإيمان" (46)टिप्पणी में लिखा है कि इसकी सनद मुस्लिम की शर्त पर सही है,और इब्नुल क़य्तिम ने भी "كتاب الصلاة" के अंदर यही हुकुम लिखा है,देखें:नमाज़ छोड़ने वालों को काफिर मानने वालों के प्रमाण का संदर्भ,पृष्ठ संख्या 48,तथा इब्ने तैमिया ने भी "مجموع الفتاوى" (7/513)में इस हदीस को सही कहा है।

71 इस हदीस को इमाम मुस्लिम(82)ने रिवायत किया है,और इनके अतिरिक्त मोहदद्देसीन ने भी लगभग उपरोक्त शब्दों के साथ ही इस हदीस को रिवायत किया है,जैसे अबूदाउद ( 4678 ), तिरमिज़ी ( 2618-2620 ), निसाई ( 463 ), इब्ने माजा(1078),अहमद(3/370)और लालकाई ने "شرح أصول اعتقاد اهل السنة" (1513-1517)में अध्याय الصلاة من الإيمان के अंतर्गत रिवायत किया है,देखें:"صحیح الترغیب والترہیب"(563)।

करने वाली चीज)नमाज़ है,जिसने नमाज़ छोड़ दिया उसने शिर्क किया।<sup>72</sup>

- जहां तक सहाबा के फत्वों की बात है तो जुमहूर(अधिकांश)सहाबा नमाज़ छोड़ने वाले को काफिर मानते हैं,बल्कि कई विद्वानों ने नमाज़ छोड़ने वाले के काफिर होने पर सहाबा की आम सहमती बतलाई है जैसा कि आरहा है,उदाहरण स्वरूप उमर पुत्र खत्ताब रज़ीअल्लाहु अंहु ने मौत के रोग में फरमाया:नमाज़ छोड़ने वाले का इस्लाम में कोई भाग नहीं है।<sup>73</sup>
- शौरैक ने अब्दुल मलिक बिन ओमैर से और उन्होंने अबूल मलीह से वर्णित किया है,वह फरमाते हैं:मैंने उमर रज़ीअल्लाहु अंहु को फरमाते हुए सुना:नमाज़ छोड़ने वाले का कोई इस्लाम नहीं,शौरैक से पूछा गया:क्या मिंबर पर उन्होंने ऐसा कहा?उन्होंने कहा:जी हां।<sup>74</sup>

---

72 इस हदीस को लालकानी ने "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" में रिवायत किया है और फरमाया कि:इसकी सनद मुस्लिम की शर्त पर सही है,और अल्बानी ने "صحیح الترغیب والترہیب" (566)में इसका उल्लेख किया है।

73 इसे मालिक ने "الموطأ" के अंदर کتاب الطهارة، باب العمل فین علیہ الدم من جرح أو رعا ف کتاب الطهارة، باب العمل فین علیہ الدم من جرح أو رعا में,लालकाई(1528-1528)ने और मरवज़ी ने "تعظیم قدر الصلاة" के अंदर (390)में रिवायत किया है।

74 मरवज़ी ने इसे "تعظیم قدر الصلاة" में باب اکفارتارک الصلاة (930)के अंतर्गत रिवायत किया है।

- अली बिन अबी तालिब रज़ीअल्लाहु अंहु से बेनमाज़ी महिला के विषय में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया:जो व्यक्ति नमाज़ न पढ़े वह काफिर है।
- आपने और फरमाया:जिस व्यक्ति ने जानबूझ कर एक समय की नमाज़ छोड़ दी,वह अल्लाह से बरी(मुक्त)है और अल्लाह उससे मुक्त है।<sup>75</sup>
- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ीअल्लाहु अंहुमा से पूछा गया:क्या आप(सहाबा)अपने बीच पाप करने को कुफ़्र मानते हैं?तो उन्होंने कहा:नहीं,बंदा और कुफ़्र के बीच दूरी खत्म करने वाली चीज नमाज़ का छोड़ना है।<sup>76</sup>
- आपसे अधिक पूछा गया:रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में आप(सहाबा)के नजदीक कौनसा अमल कुफ़्र और ईमान के बीच अंतर करता था?तो आपने फरमाया:नमाज़।<sup>77</sup>
- इब्ने मस्ऊद रज़ीअल्लाहु अंहु नमाज़ के विषय में फरमाते हैं:हमारी राय है कि नमाज़ न छोड़ी जाए क्योंकि नमाज़ छोड़ना कुफ़्र है।<sup>78</sup>

---

75 इस कथन को और इससे पूर्व के कथन को मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة" में باب ذكر الكفار में (933,934)के अंतर्गत रिवायत किया है।

76 इसे लालकाई (1537)और मरवज़ी ने में के अंतर्गत वर्णित किया है।

77 इसे लालकाई (1537)और मरवज़ी ने में के अंतर्गत वर्णित किया है।

78 इसे लालकाई(1532) ने रिवायत किया है।

- आपने अधिक फरमाया:जो व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता उसका दीन से कोई संबंध नहीं।<sup>79</sup>
- अबू दरदा रज़ीअल्लाहु अंहु फरमाते हैं:जो व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता उसके अंदर ईमान नहीं और जिसका वुजू न हो उसकी नमाज़ नहीं।<sup>80</sup>
- अब्दुल्लाह बिन शक्रीक़ जो कि महान ताबई हैं,वह फरमाते हैं:मोहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी भी अमल के छोड़ने को कुफ़र नहीं मानते थे सिवाए नमाज़ के।<sup>81</sup>
- जहां तक नमाज़ छोड़ने वाले के काफिर होने के विषय में ताबईन के फत्वों की बात है तो ईमाम लालकाई रहिमहुल्लाहु ने "شرح أصول" में लिखा है:  
اعتقاد أهل السنة والجماعة

(हसन से वर्णित है कि:मुझे पहुंचा है कि रसूलुल्लह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहा करते थे:बंदा और शिर्क के बीच ऐसा अंतर जिसके

79 मरवज़ी ने इसे "تعظيم قدر الصلاة" में باب إكفار تارك الصلاة (936)के अंतर्गत रिवायत किया है और इब्ने अबी शैबा ने "كتاب الإيمان" (48)में रिवायत किया है और अल्बानी ने "صحیح الترغيب والترهيب" (574)में इसकी सनद को हसन कहा है।

80 इसे लालकाई(1536)और इब्ने नसर मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة" में अध्याय ذكر إكفار تارك الصلاة (945)के अंतर्गत रिवायत किया है किंतु उनके वर्णन में अंतिम वाक्य नहीं है और अल्बानी ने "صحیح الترغيب والترهيب" (575)में इसकी सनद को सही कहा है।

81 इसे इमाम तिरमिज़ी(2622)और मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة" में باب ذكر إكفار تارك الصلاة (948) के अंतर्गत रिवायत किया है और अल्बानी ने "صحیح الجامع" में इसे सही कहा है,अधिक देखें:उनकी टिप्पणी: "صحیح الترغيب والترهيب" (565)

कारण बंदा काफिर होजाता है,यह है कि बिना किसी वैध बहाने के नमाज़ छोड़दे।

ताबईन में ऐसी राय रखने वाले:मोजाहिद,सईद बिन जोबैर,जाबिर बिन जैद,अम्र बिन दीनार,इब्राहीम बिन नखई और अलकासिम बिन मुखीरा हैं।

जबकि फोकीहों में से:मालिक,औज़ाई,शाफई,शोरैक बिन अब्दुल्लाह नखई,अहमद,इस्हाक,अबूसौर और अबू ओबैद अलकासिम बिन सलाम भी इसी के पक्ष में हैं।<sup>82</sup>

- इस्हाक बिन राहवैह का कथन है:रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्ध है कि नमाज़ छोड़ने वाला काफिर है,यही राय आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग से लेकर आज तक के विद्वानों की भी है कि जो व्यक्ति जानबूझ कर बिना किसी वैध बहाने के नमाज़ छोड़ता है यहां तक कि उसका समय निकल जाता है,तो वह काफिर है।<sup>83</sup>

---

82 "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (1502),और देखें:(1539)

83 इस कथन को मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة" अध्याय ذکر السنهي عن قتل में "إعادة الصلاة مع الإمام, صلاة الجماعة, खंड", "التمهيد" (990) में और इब्ने अब्दुलबर ने "المصلين" में रिवायत किया है,तथा यह वृद्धि भी किया है कि:यदि उस क़ज़ा(बाद में अदा करने)करने से इंकार करे और कहे कि:मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा।

- सईद बिन जोबैर फरमाते हैं:जिसने जानबूझ कर नमाज़ छोड़ा उसने कुफ़्र किया।<sup>84</sup>
- अय्यूब अलसख्तयानी ने फरमाया:नमाज़ को छोड़ना कुफ़्र है,इसमें कोई मतभेद नहीं।
- अब्दुल्लाह बिन मोबारक फरमाते हैं:जिसने जानबूझ कर बिना किसी वैध बहाने के नमाज़ को विलंब किया यहां तक कि उसका समय निकल गया तो उसने कुफ़्र किया।<sup>85</sup>
- हाफिज़ अब्दुल अज़ीम मुनज़री ने फरमाया:सहाबा के एक समूह और उनके पश्चात के एक समूह भी इस पक्ष में हैं कि जो व्यक्ति जानबूझ कर नमाज़ छोड़े यहां तक कि उसका पूरा समय निकल जाए तो वह काफिर है,उनमें उमर बिन खत्ताब,अब्दुल्लाह बिन मसूद,अब्दुल्लाह बिन अब्बास,मोअज़ बिन जबल,जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू दरदा रज़ीअल्लाहु अंहुम उल्लेखनीय हैं।सहाबा के अतिरिक्त अहमद बिन हंबल,इस्हाक़ बिन राहवैह,अब्दुल्लाह बिन मोबारक,नखई,हकम बिन ओतैबा,अय्यूब अलसख्तयानी,अबूदाउद

84 इसे मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة" ,अध्याय ذكر الكفار تارك الصلاة (919)में वर्णित किया है

85 इस वर्णन को और इससे पूर्व के वर्णन को मरवज़ी ने "تعظيم قدر الصلاة" , अध्याय النهي عن قتل الصليين (978-979)में वर्णित किया है।

अलतयालसी,अबूबकर बिन अबी शैबा और ज़ोहैर बिन हर्ब आदि रहिमहुमुल्लाहु भी इसके पक्ष में हैं।<sup>86</sup>

- इब्ने हज़म रहिमहुल्लाहु फरमाते हैं:उमर,मोआज़,अब्दुर रहमान बिन औफ और अबूहोरैरह आदि रज़ीअल्लाह अंहुम से वर्णित है कि जो व्यक्ति जानबूझ कर कोई फर्ज़ नमाज़ छोड़दे यहां तक कि उसका समय निकल जाए तो वह काफिर और मुर्तद(धर्म त्यागी) है।<sup>87</sup>
- मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी<sup>88</sup> फरमाते हैं:यह जमहूर(बहुसंख्यक विद्वानों) अहले हदीस का कथन है।<sup>89</sup>
- इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु फरमाते हैं:जो व्यक्ति अल्लाह के आदेश को मानता है तो वह नमाज़ छोड़ने पर क्यों जिद करता है,जबकि उसे ज्ञान है कि अल्लाह तआला ने नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया है और यह बात स्वभाविक रूप से एवं आदतन असंभव है कि एव व्यक्ति दिन और रात की पाँच नमाज़ों को इलाही फर्ज़ भी मानता हो और फिर उन्हें छोड़ भी दे और फिर उसे छोड़े हुए नमाज़ की यातना का भी पूरा पूरा ज्ञान हो और फिर वह नमाज़ को छोड़दे,यह बहुत ही कठिन है,जो व्यक्ति नमाज़ को फर्ज़ जानाता है

---

86 "الترغيب والترهيب"، كتاب الصلاة، ختام باب الترهيب من ترك الصلاة متعمداً. 86

87 इब्ने हज़म की "الحلی" (1/152-153) مسئله (279)

88आप इमाम,शैखुलइस्लाम,हाफिज़ और शाफिई फ़कीह हैं,आपका निधन सन 294 हिजरी में हुआ,आपकी जीवनी के लिये देखें:"سیر أعلام النبلاء" (4/33)

89 "تعظیم قدر الصلاة، باب ذکر النهی عن قتل المسلمین وإباحة قتل من لم یصل" 89 असर संख्या(1002)के पश्चात

वह इसे कभी भी छोड़ नहीं सकता,क्योंकि ईमान मनुष्य को नमाज़ स्थापित करने का आदेश देता है और यदि उसका हृदय नमाज़ पर प्रोत्साहित नहीं करता तो वह बिल्कुल ईमान से वंचित है।<sup>90</sup>

- मुसलमानों के इमाम पर अनिवार्य है कि नमाज़ छोड़ने से तौबा कराए,यदि वह तौबा करले तो छोड़दे,अन्यथा उसके कुर्फ का पक्ष मानने वालों के अनुसार उसे मुर्तद(धर्म त्यागी)होने के कारण उसकी हत्या करदी जाए,अथवा उसके फिस्क़(दुराचार एवं अनैतिकता)का पक्ष मानने वालों के अनुसार उसे तण्ड के रूप में उसकी हत्या करा दी जाए,क्योंकि अबूबकर रज़ीअल्लाहु अंहु ने ज़कात न देने वालों से युद्ध किया,जो लोग उसकी अनिवार्यता के इंकार कर रहे थे उनसे भी और जो उसकी अनिवार्यता को मानने के बावजूद अदा करने से इंकार कर रहे थे,उनसे भी,नमाज़ छोड़ने वाले की हत्या का कथन शाफेई और विद्वानों के एक समूह का है।

**अध्याय नमाज़ छोड़ने वाले पर लागू होने वाले दीनी एवं दुनियावी आदेशों की व्यख्या**

---

90 "كتاب الصلاة وعلم تاركها" पृष्ठ संख्या 63,नमाज़ छोड़ने वाले को काफिर मानने वालों की दसवें प्रमाण के पश्चात

- नमाज़ छोड़ने वाले के काफिर होने के कारण यह लागू होता है कि जो व्यक्ति नमाज़ छोड़ता हो वह किसी नमाज़ी मुसलमान महिला से विवाह न रचाए,यदि विवाह कर लिया हो तो उसके साथ वैवाहिक जीवन बसर करना उसके लिये मान्य नहीं, उससे संभोग करना उसके लिये अवैध है,क्योंकि वह महिला मुसलमान है और पुरुष काफिर है,अल्लाह का कथन है:

﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾

अर्थात:यदि तुम्हें यह ज्ञान हो जाये कि वह ईमान वालीयाँ हैं तो उन्हें वापिस न करो काफिरों की ओर न वे औरतें हलाल(वैध)हैं उन के लिये और न वे काफिर हलाल(वैध)हैं उन औरतों के लिये।

- इसी प्रकार यदि पुरुष नमाज़ पढ़ता हो और पत्नी नमाज़ न पढ़ती हो तो उसके लिये वैध नहीं कि उससे विवाह रचाए और न ही उसके साथ वैवाहिक जीवन बिताए,क्योंकि मुसलमान के लिये यह वैध नहीं कि किसी मुसलमान अथवा किताबी महिला(यहूदी व ईसाई)के अतिरिक्त किसी और से विवाह रचाए,किंतु धर्म त्यागी महिला से विवाह करना उसके लिये मान्य नहीं, *والله المستعان*
- नमाज़ छोड़ने वाले कि लिये वैध नहीं कि मक्का के हुदूदे हरम(निश्चित पवित्र स्थान)में प्रवेश करे,जैसा कि अल्लाह का वर्णन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

अर्थात:हे ईमान वालो!मुशरिक(मिश्रणवादी)मलीन है,अतः इस वर्ष के पश्चात वह सम्मानित मस्जिद(काँबा)के समीप भी न आये।

- नमाज़ छोड़ने वाले का यदि निधन होजाए तो न उसको स्नान कराया जाए,न उसे कफन पहनाया जाए और न मुसलमानों के कबरिस्तान में उसे दफन किया जाए और न उसके लिये क्षमा की दुआ की जाए,क्योंकि स्नान देना,कफन पहनाना और मुसलमानों के कबरिस्तान में दफन करना ऐसे आदेश हैं जो मुसलमानों के साथ खास हैं,अतः जिस व्यक्ति का कोई नजदीकी संबंधि एवं परिजन हो जिसके बार में वह जानता हो कि वह नमाज़ नहीं पढ़ता तो उसके लिये यह मान्य नहीं कि दोखे में डाल कर लोगों को उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करदे,अल्लाह का कथन है:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

अर्थात:(हे नबी!)आप उन में से कोई मर जाये तो उस के नमाज़ कभी न पढ़ें,और न उस की समाधि(कब्र)पर खड़े हों,क्योंकि उन्हां ने अल्लाह और उस के रसूल के साथ कुफ्र किया है,और अवज्ञाकारी रहते हुए मरे हैं।

- नमाज़ छोड़ने वाले के साथ जो अहकाम विशेष हैं उनमें से यह भी है कि उसका ज़बह किया हुआ मवेशी<sup>91</sup> हाराम है, क्योंकि ज़बह करने की शर्तों में से यह भी है कि ज़बह करने वाला मुसलमान अथवा किताबी (यहूदी व ईसाई) हो, किंतु धर्म त्यागी और मजूसी आदि का ज़बह किया हुआ जानवर हलाल नहीं है।
- नमाज़ छोड़ने वाला अपने परिजनों का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है: "मुसलमान, काफिर का वारिस नहीं हो सकता और न काफिर, मुसलमान का"<sup>92</sup>
- रही बात नमाज़ छोड़ने वाले की आखिरत के जीवन की तो यह ज्ञात है कि काफिर की मौत जब कुर्फ की स्थिति में हो तो वह हमेशा नरक में रहेगा, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا \* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

अर्थात: अल्लाह ने धिक्कार दिया है काफिरों को और तय्यार कर रखी है उन के लिये दहकती अगिन। वे सदावासी होंगे उसमें, नहीं पाएंगे कोई रक्षक और न कोई सहायक।

---

91 अर्थात जिस जानवर को वह अपने हाथ से ज़बह करे उसका खाना हाराम है, चाहे उसपर अल्लाह का नाम ले अथवा न ले।

92 इस हदीस को बोखारी (6764) और मुस्लिम (1614) ने ओसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अंहुमा से वर्णित किया है, उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

लाभ:नमाज़ आँख की ठंडक उस समय बनती है जब उस में छ विशेषताएं इकट्ठा हों

इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु ने उल्लेख किया है कि वह नमाज़ जिससे आँख को ठंडक और हृदय को शांति मिलती है,उसका अर्थ ऐसी नमाज़ है जिसमें छ विशेषताएं इकट्ठा हों:

प्रथम विशेषता:निष्ठा,इसका अर्थ यह है कि नमाज़ के लिये प्रोत्साहित करने वाली चीज यह हो कि बंदा के अंदर अल्लाह के चाह,उसका प्रेम,उसको प्रसन्न रकने की चाहत,उसकी निकटता व प्रेम की तलब और उसके आदेशों का पालन पाया जाए,वह इस प्रकार से कि नमाज़ के लिये प्रोत्साहित करने में किसी प्रकार का कोई दुनयावी उद्देश्य कदापि शामिल न हो,बल्कि उसका उद्देश्य केवल सर्वोत्तम ईश्वर की प्रसन्नता की प्राप्ति,उसके प्रेम,उसकी यातना का भय और उसके क्षमा एवं पुण्य की आशा हो।

द्वितीय विशेषता:सत्यता एवं सद्भावना,इसका अर्थ यह है कि अपने हृदय को पूर्णता से अल्लाह के लिये खाली करदे,पूरी शक्ति अल्लाह की ओर ध्यान लगाने में झोंकदे,नमाज़ में हृदय एवं बुद्धि को उपस्थित रखे,आंतरिक एवं बाह्य प्रत्येक प्रकार से उत्तम एवं पूर्ण रूप से नमाज़ पढ़े,क्योंकि नमाज़ के कुछ भाग आंतरिक एवं कुछ बाह्य हैं,अतः देखाई देने वाले अमाल व गतिविधियां और सुने जाने वाले वचन आदि इसके

आंतरिक भाग हैं,जबकि विनम्रता एवं विनयशीलता,बुद्धि तत्परता,अल्लाह की ओर हृदय को लगाए रखना और पूरे मन के साथ अल्लाह की ओर ध्यान लगाना,इस प्रकार कि उसका हृदय किसी और ओर न जाए,यह नमाज़ की आत्मा के समान है,और गतिविधियां उसके शरीर के समान हैं,यदि नमाज़ आत्मा से खाली होगई तो उस शरीर के जैसे होजएगी जिस में आत्मा न हो।

क्या बंदा को शर्म नहीं आती कि इस प्रकार की आत्मा मुक्त नमाज़ के साथ अपने मालिक का सामना करे?

यही कारण है कि ऐसी नमाज़ को पुराने कपड़े के जैसे लपेट कर उस नमाज़ी के चेहरे पे मार दिया जाएगा,और वह नमाज़ कहेगी:अल्लाह तुझे नाश करे जिस प्रकार तूने मुझे नष्ट कर दिया।

वह नमाज़ जिसका आंतरिक एवं बाह्य उत्तम हो वह शिखर की ओर चढ़ती है और उसमें सूर्य के जैसे प्रकाश होता है,यहां तक कि वह अल्लाह के समक्ष होती है तो अल्लाह उससे प्रसन्न होता और उसे स्वीकार करता है,वह नमाज़ कहती है:अल्लाह तेरी रक्षा करे जिस प्रकार तूने मेरी रक्षा की।

**तृतीय विशेषता:**आज्ञापालन एवं अनुगमन,इसका मतलब यह है कि नमाज़ी पूरा प्रयास करे कि अपनी नमाज़ नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम

के अनुगमन में पढ़े,जैसे आप नमाज़ पढ़ते थे,उसी प्रकार पढ़े,लोगों ने नमाज़ में अपनी ओर से जो कमी बढ़ोतरी कर रखी है और जिन कार्यों एवं गतिविधियों का वृद्धि कर रखा है जो कि न नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्ध हैं और न किसी सहाबी से,उनसे बचता रहे,उन छूट चाहने वाले लोगों के कथनों पर अंमल न करे जो वोजूब(अनिवार्यता)के निम्नतम चरण पर बस करते हैं जबकि अन्य लोग उनका विरोध करते हैं और उनके निरस्त अहकाम को वाजिब(अनिवार्य)मानते हैं और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों भी उनको बल पहुंचाती हैं,फिर भी छूट चाहने वाले लोग उन सुन्नतों की परवाह नहीं करते और यह कहते हैं कि:(हम अमुक मज़हब के मोक़ल्लिद(अनुयायी)हैं)|इससे वह अल्लाह के समक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और न सुन्नत को जानने के बाद उससे मुंह मोड़ने का कोई अनुचित बहाना है,क्योंकि अल्लाह तआला ने केवल रसूल के अनुगमन और आज्ञापलन का आदेश दिया है,उनके अतिरिक्त किसी और के अनुपालन का आदेश नहीं दिया,बल्कि दूसरे का अनुपालन उसी समय किया जाए जब उसका आदेश रसूल के आदेश के अनुसार हो,रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतिरिक्त हर किसी का कथन स्वीकार भी किया जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है।

अल्लाह तआला ने अपनी हस्ती की शपथ खाकर फरमाया है कि हम उस समय तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि समस्त आपस के विवादों

में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यायाधीश ने मान लें,आप के निर्णय को मानें और उसको स्वीकार करें,आपके अतिरिक्त किसी और का निर्णय और अनुगमन हमें लाभ नहीं दे सकता और न हमें अल्लाह की यातना से बचा सकता है,और हमारा यह उत्तर<sup>93</sup>उस समय कोई काम नहीं आएगा जब हम क़यामत के दिन अल्लाह तआला की यह पूकार सुनेंगे:

﴿ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (तुमने पैगंबरोँ को क्या उत्तर दिया),अल्लाह तआला हम से इस विषय में अवश्य प्रश्न करेगा और हम से उत्तर मांगेगा,अल्लाह का फरमान है:

﴿ فَلْتَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْتَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾

अर्थात:तो हम उन से अवश्य प्रश्न करेंगे जिन के पास रसूलों को भेजा गया तथा रसूलों से भी अवश्य प्रश्न करेंगे।

नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:(मुझे वदहय की गई है कि तुम्हें मेरे माध्यम से आजमाया जाएगा और मेरे बारे में प्रश्न किया जाएगा)अर्थात क़ब्र में प्रश्न किया जाएगा।<sup>94</sup>

93 अर्थात यह उत्तर कि:(हम अमुक मज़हब के अनुयायी हैं)

94 इस हदीस को खत्ताबी ने में आयशा रज़ीअल्लाहु अंहा से वर्णित किया है,इसका अनुपूरण इस प्रकार है:(यदि वह नेक व्यक्ति होगा तो उसे क़ब्र में बैठाया जाएगा और उसे डर नहीं लगेगा)

अतः जिस व्यक्ति को रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ज्ञान हो और किसी मनुष्य के वर्णन के कारण उसे छोड़दे तो(उसे याद रखना चाहिये कि)क़्यामत के दिन वह हिसाब की परिस्थिति से गुजरेगा और अपनी गलती से अवगत होजाएगा।

चौथी विशेषता:इहसार की विशेषता,अर्थात अवलोकन की विशेषता,जिसका मतलब यह है कि वह इस प्रकार अल्लाह की पूजा करे मानो वह अल्लाह को देख रहा हो,यह विशेषता उस समय उत्पन्न होती है जब अल्लाह पर और उसके अस्मा व सिफात(नामों एवं गुणों)पर इस प्रकार पूर्ण ईमान हो कि वह मानो अल्लाह को आकाशों के ऊपर,फर्श पर मुस्तवी(स्थिर) देख रहा हो,जो अपने आदेशों के माध्यम से वार्ता करता है,मखलूक के समस्त मामलों की रणनीति करता है,आदेश उसी के पास से उतरता है और उसी तक पहुंचता है,बंदों के अमाल और उनके निधन के समय उनकी आत्माएं अल्लाह के पास प्रस्तुत की जाती हैं,वह इन समस्त दृश्यों को अपने हृदय से देख,अल्लाह के अस्मा व सिफात को देखे,जीवित और सबको थामने वाले ( परवरदिगार ) ,सुनने और देखने वाले ( रब ) ,प्रभुत्व व नीति वाले(पालनहार)को देखे,जो प्रेम भी करता और नफरत भी करता है,राजी भी होता और गोस्सा भी होता है,जो चाहे करता है और जो चाहे आदेश देता है, वह अपने अर्श पर मुस्तवी है,बंदों का न कोई अमल उससे छुपा हुआ है,न कोई बात और न उनके आंतरिक स्थिति उससे छुपा है,बल्कि

वह आँखों की खियानत को और सीनों की छुपी बातों को भी खूब जानता है।

इहसान एक ऐसी विशेषता है जिस पर समस्त हृदयी आंमाल निर्धारित है,इससे हया,मान-सम्मान,भय व प्रेम,तौबा व निकटता,तवक्कुल और अल्लाह तआला के समक्ष विनम्रता अपनाने का भाव उत्पन्न होता है,वसवसों और खयालों समाप्त होते हैं,और हृदय व बुद्धि और सोच विचार अल्लाह से जुड़ते हैं।

बंदा को अल्लाह की निकटता उतना ही प्राप्त होता है जितना वह इहसान को अपनाता है,उसे के अनुसार नमाज़ के श्रेणी निश्चय होते हैं,यहां तक कि दो लोगों की नमाज़ के बीच आकाश व पृथ्वी का अंतर होता है,जबकि दोनों के क़याम व रूकू व सुजूद एक जैसे होते हैं।

पांचवी विशेषता:आभारी होने की विशेषता,अर्थात वह गवाही दे कि समस्त कृपा एवं उपकार अल्लाह तआला की ओर से हैं,अल्लाह ने ही उसे इस स्थान पर लाखड़ा किया है,उसे इस योग्य बनाया,उसे यह तौफ़ीक़ दी कि उसका हृदय और उसका शरीर अल्लाह की पूजा में लग सके,यदि अल्लाह तआला न होता तो यह सब संभव न था,जैसा कि सहाबा नबी

सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्रशंसा करते हुए फरमाया करते थे:

ولا تصدقنا ولا صلينا

والله لو لا الله ما اهتدينا

अर्थात:अल्लाह की क़सम! यदि अल्लाह न होता तो हमें हिदायत न मिलती और न हम दान करपाते और न नमाज़ पढ़ सकते।

अल्लाह का कथन है:

﴿يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُونَا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

अर्थात:वे उपकार जता रहे हैं आप के ऊपर कि वह इस्लाम लाये हैं।आप कह दें कि उपकार न जाताओ मुझ पर अपने इस्लाम का।बल्कि अल्लाह का उपकार है तुम पर कि उस ने राह दिखायी है तुम्हें ईमान की,यदि तुम सच्चे हो।

अल्लाह पाक ने ही मुसलमान को मुसलमान और नमाज़ी को नमाज़ी बनाया,जैसा कि खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया:

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾

अर्थात:हे हमारे पालनहार!हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना!तथा हमारी संतान से एक ऐसा समुदाय बनादे जो तेरा आज्ञाकारी हो।

अधिक फरमाया:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

अर्थात:हमारे पालनहार!मुझे नमाज़ की स्थापना करने वाला बना दे,तथा मरी संतान को।

इहसान(कृपा)केवल और केवल अल्लाह का है कि उसने अपने बंदह को प्रार्थना की तौफीक़ प्रदान की,बल्कि यह उसके महानतम उपकारों में से है,अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾

अर्थात:तुम्हें जो भी सुख-सुविध प्राप्त है वह अल्लाह ही की ओर से है।

अल्लाह ने और फरमाया: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

अर्थात:परन्तु अल्लाह ने प्रिय बना दिया है तुम्हारे लिये ईमान को तथा सुशोभित कर दिया है उसे तुम्हारे दिलों में और अप्रिय बना दिया है तुम्हारे लिये कुफ़्र तथा उल्लंघन और अवैज्ञ को,और यही लोग संमार्ग पर हैं।

यह एक महानतम गुण है जो कि बंदा के लिये अति लाभदायक है,बंदा जितना तौहीद(एकेश्वरवाद)पर स्थिर रहता है उतना ही उसके अंदर यह गुण भी उतपन्न होता है।

इस गुण एवं विशेषता का लाभ यह है कि वह हृदय के बीच और अपने अमल पर स्वयं प्रशंसा का शिकार होने के बीच रोकावट होती है,क्योंकि बंदा जब गवाही देता है कि अल्लाह तआला ही उसका परोपकारक है,उसी ने उसे तौफीक़ और निर्देश दिया है,यह गवाही उसे इस बात से उदासीन करदेगी कि वह अमल को देख कर स्वयं प्रशंसा का शिकार हो अथवा उसके माध्यम से लोगों पर प्रभुत्व जताए,अतः यह गुण उसके हृदय में

उत्थान उतपन्न करती है,अतः वह स्वयं प्रशंसा का शिकार नहीं होता,उसकी जबान को सही मार्ग दिखाती है,अतःवह न उपकार जताता और न उस पर गर्व करता है,स्वीकृत एवं उच्च अमल का यही चिन्ह है।

इसका लाभ यह भी है कि वह प्रशंसा को उसके पात्र(पालनहार)की ओर संबंधित करता है,अतः स्वयं की प्रशंसा में लगा नहीं रहता,बल्कि अल्लाह की प्रशंसा करता है,इसी प्रकार समस्त उपकारों एवं आशीर्वादों को अल्लाह का कृपा मानता है,समस्त उपकार एवं दया को अल्लाह की ओर संबंधित करता है और यह स्वीकार करता है कि समस्त अच्छाई व भलाई अल्लाह ही के हाथ में है,यह तौहीद(एकेश्वरवाद)की पूर्णता का प्रमाण है,तौहीद के स्थान पे वह उसी समय स्थिर रह सकता है जब उसे असका ज्ञान होता और वह उसकी गवाही देता है,जब वह इस से अवगत होता है और इस स्थान पर जम जाता है तो यह उसकी विशेषता बन जाती है,और जब यह उसके हृदय की विशेषता बन जाती है तो उसके अंदर अल्लाह का प्रेम व स्नेह,उससे मिलने का आकांक्षा,उसके जिक्र और उसकी आज्ञा का ऐसा भाव उतपन्न होता है कि उसका तुलना दुनया के किसी भी महानतम उपकार से नहीं किया जा सकता।

मनुष्य का हृदय यदि उससे वंचित हो और उसके लिये वहां तक पहुंचने का मार्ग बंद हो तो उसके जीवन में कोई भलाई नहीं है,बल्कि उसकी स्थिति ऐसी है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْمَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

अर्थात:(हे नबी!)आप उन्हें छोड़ दें,वह खाते,तथा आनन्द लेते रहें,और उन्हें आशा निश्चेत किये रहे,फिर शीघ्र ही वह जान लेंगे।

छठी विशेषता:स्वयं को काहिल स्वीकारने की विशेषता,बंदा अल्लाह के आदेश को पूरा करने के लिये चाहे कठोर परिश्रम क्यों न करले और अपनी पूरी शक्ति क्यों न झोंकदे,वह स्वेद काहिल ही रहेगा,अल्लाह तआला का अधिकार उससे अधिक महान है,जिसका तकाजा है कि उसकी आज्ञाकारी और बंदगी और सेवा उससे कहीं बढ़ कर किया जाए,अल्लाह तआला की महानता व महिमा का तकाजा है कि उपयुक्त एवं शोभनीय रूप में उसकी प्रार्थना की जाए।

यदि राजाओं के सेवक एवं नौकर उनकी सेवा करते हुए आदर व सम्मान,श्रद्धा व प्रतिष्ठा,लज्जा,भय और सद्भावना व विनयशीलता का पालन करते हैं,वह इस प्रकार से कि अपने हृदय और शारीरिक अंगों समेत उनकी ओर ध्यान लगाए रखते हैं,तो राजाओं का राजा और आकाश व धरती का मालिक इस बात का अधिक पात्र है कि उसके साथ इस प्रकार से बल्कि इससे कहीं बढ़ कर आदर व सम्मान किया जाए।

बंदा जब अपने अंदर यह देखता है कि उसने पूरी तरह अपने परवरदिगार की बंदगी का हक बल्कि उसके हक का थोड़ा सा भी अदा नहीं किया,तो

उसे अपनी काहिली का ज्ञात होजाता है,फिर उसके पास इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं रहता कि वह इस्तिगफार करे,अपनी काहिली और कमी पर और इस बात पर क्षमा मांगे कि उसने अल्लाह का हक उस प्रकार से पूरा नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिये था,वह बंदा भक्ति का हक पूरा न करने पर क्षमा का जितना दरिद्र होता है,वह आवश्यकता इससे कहीं बढ़ कर होती है कि वह इस पर पूण्य की मांग करे,यदि वह उसका पूरा हक अदा कर भी दे तो भक्ति के रूप में उसपर यह अनिवार्य भी था,क्योंकि दास का अमल और अपने स्वामी का सेवा उसके दास और सेवक होने के कारण उस पर अनिवार्य है,यदि वह अपने स्वामी से अपने अमल और सेवा के बदले वेतन मांगे तो लोग उसे मूर्ख और बेवकूफ कहेंगे,जबकि वह उसका वास्तविक दास है भी नहीं,बल्कि वह सास्तव में प्रत्येक रूप से अल्लाह का दास है,अतः उसका अमल और सेवा करना उसके दास होने के कारण उसपर अनिवार्य है,यदि अल्लाह तआला उसे उस पर पूण्य देता है तो यह केवल उसकी कृपा है,न कि बंदे का अधिकार,इसको सामने रखें तो हमारे लिये नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझना आसान हो जाता है:"तुम में से किसी व्यक्ति को उसका अमल मुक्ति नहीं दिला सकेगा|"सहाबा ने

पूछा:अल्लाह के रसूल!आपको भी नहीं?आपने फरमाया:मुझे भी नहीं मगर यह कि मुझे अल्लाह तआला अपने कृपा के साये में लेले"<sup>95</sup>

इस विशेषता के चार सिद्धांत हैं:सही नीयत,उच्च साहस,साथ ही इच्छा एवं आकांक्षा और डर व भय।

ये चार चीजें इस विशेषता के सिद्धांत हैं,बंदा के ईमान व परिस्थितियां और आंतरिक एवं बाह्य कमी है,उसका कारण इन चार सिद्धांतों की कमी अथवा इनमेंसे कुछ की कमी होती है।

बुद्धिमान व्यक्ति को इन चारों चीजों पर विचार करना चाहिए,उन्हें अपना जीवन शैली में परिवर्तण लाना चाहिए,उनपर ही अपने ज्ञान,आमाल एवं कथनों और परिस्थितियों को आधारित करना चाहिए,जो लोग भी सालेहियत(धार्मिकता)के उच्च स्थान पर पहुंचे,वह इनके आधार पर ही पहुंचे,और जो इससे पीछे रह गए वह इन चीजों के लुप्त होने के कारण पीछे रह गए।

---

95 इस हदीस को बोखारी(6463)और मुस्लिम(2816)ने अबूहौरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से उपरोक्त शब्दों ही के जैसा रिवायत किया है।

والله أعلم، والله المستعان وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسئول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل<sup>96</sup>

## निष्कर्ष

नमाज़ रिज़क़ लाने वाली,स्वास्थ्य की रक्षक,कठिनाइयों को दूर करने वाली और हृदय को सशक्त करने वाली है,तथा चेहरे को आलोकित करती और आत्मा को आनंदित करती है,आलस को दूर करके सारे अंगों में हलचल उत्पन्न करती है,शक्ति को बढ़ाती है और हृदय को खोलती है,तथा आत्मा के लिए खुराक है,हृदय को आलोकित करती है,आशीर्वादों की रक्षक,यातना को दूर करने वाली,बरकत की प्राप्ति का माध्यम,शैतान से दूर करने वाली और रहमान से निकट करने वाली है।

---

96 "رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه" पृष्ठ संख्या:34-46, थोड़े हेर-फेर के साथ,प्राक्कथन:शैख बकर अबूजैद रहिमहुल्लाहु.शोध:अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अलमोदीफर

संक्षेप में यह कि शारीर और हृदय के स्वास्थ्य और दोनों की शक्ति की रक्षा में और उनसे बुरा तत्व को दूर करने में नमाज़ का बड़ा प्रभाव है,दो व्यक्ति जब किसी संकट व आपदा,अथवा आजमाइश का शिकार होते हैं,तो उनमें से जो नमाज़ी होता है उसका संकट व आपदा दूसरे की तुलना में कम और उसका परिणाम अधिक सुरक्षित होता है।

दुनियावी कठिनाइयों को दूर करने में नमाज़ का एक अद्भुत प्रभाव है,विशेष रूप से उस समय जब कि उसके समस्त आंतरिक एवं बाह्य हकों को पूरा किया जाए,दुनिया व आखिरत की कठिनाइयों को दूर करने और दोनों संसार की अच्छाई व भलाई प्राप्त करने का कोई विधि नमाज़ के जैसा कारगर नहीं है।<sup>97</sup>

आप रहिमहुल्लाहु अधिक फरमाते हैं:इसका भेद यह है कि नमाज़ अल्लाह तआला के साथ संबंध पैदा करती है और अल्लाह तआला के साथ बंदे का जितना अधिक संबंध होगा उतना ही उसपे भलाई के दरवाजे खुलते जाएंगे और कठिनाई के दरवाजे बंद होते जाएंगे और उसके लिये रब की ओर से

---

97 लेखक-अल्लाह उनको क्षमा प्रदान करे-का कहना है:यही कारण है कि:नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई गम होता तो आज नमाज़ पढ़ने लगते,इस हदीस को अबूदाउद(1319)ने होज़ैफा बिन अलयमान नज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित किया है और अल्बानी ने इसे हसन कहा है।

तौफीक,शांति और स्वास्थ,धन,सुकून व उपकार व प्रसन्नता के कारण  
उत्पन्न होने लगते हैं और यह सारे उपकार उसके पैर चूमने लगते हैं।<sup>98</sup>

---

98 "زاد المعاد" (4/332)